ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना

प्रिय महोदय/महोदया,

भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर परिसर और बैंक की 03 आवासीय कॉलोनियों में सीधी और इंटरकॉम लाइनों के लिए एएमसी

भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर ने **बैंक परिसर और बैंक की 03 आवासीय कॉलोनियों में सीधी और इंटरकॉम लाइनों के लिए एएमसी' आमंत्रित की है।**

ई-टेंडरिंग एमएसटीसी लिमिटेड (https://mstcecommerce.com/eprocn) के ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। सभी पात्र और इच्छुक कंपनियों/एजेंसियों/फर्मों को ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। ई-निविदा की अनुसूची इस प्रकार है:

ई-निविदा सं.	**RBI/Kanpur Regional Office/Estate/16/25-26/ET/828**
ए) अनुमानित लागत	**रु. 8,00,000/- (केवल आठ लाख रुपये) (जीएसटी @ 18% सहित)**
बी) ई-निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम ऑनलाइन (भाग I तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली) के माध्यम से https://mstcecommerce.com/eprocn किया जाएगा।
सी) ई-निविदा का प्रकार	**सीमित** (केवल आरबीआई, कानपुर के साथ 'इलेक्ट्रिकल वर्क्स' कारोबार में 5 लाख से ऊपर की श्रेणी के कार्यों के लिए पैनल में शामिल फर्मों और मेसर्स एडी एंटरप्राइजेज के लिए है)
डी) पक्षकारों (पार्टियों) के लिए डाउनलोड के लिए एनआईटी की तिथि की उपलब्धता	13 जनवरी, 2026 (मंगलवार) शाम 05:00 बजे से
ई) प्री-बिड मीटिंग (ऑफलाइन)	10 फरवरी, 2026 (मंगलवार) दोपहर 11:00 बजे **स्थान:** सम्पदा विभाग, दूसरी मंजिल, भारतीय रिजर्व बैंक, माल रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208001
एफ़) एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी **और एमएसटीसी पोर्टल पर विवरण अपलोड करें।** इसके अलावा, लेन-देन विवरण (यूटीआर नंबर) को estatekanpur@rbi.org.in को सूचित करें/अग्रेषित करें	हमारे खाता संख्या 186003001, आईएफएससी RBIS0KNPA01 (जहां '0' शून्य का प्रतिनिधित्व करता है) या डीडी में एनईएफटी के माध्यम से भुगतान की जाने वाली अनुबंध राशि का 2% भारतीय रिजर्व बैंक कानपुर में देय है। केवल सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।
जी) ई-निविदा शुल्क	शून्य

एच) https://mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	12 फरवरी, 2026 (गुरुवार) सुबह 11:00 बजे से
आई) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	कार्य आदेश देने के 14 दिनों के भीतर।
जे) तकनीकी-वाणिज्यिक बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा को पूरा करने की तिथि और मूल्य बोली।	23 फरवरी, 2026 (सोमवार) सुबह 11:00 बजे तक
के) भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) के खुलने की तारीख और समय तथा भाग-II (मूल्य बोली) के खुलने की तारीख अलग से सूचित की जाएगी	23 फरवरी, 2026 (सोमवार) दोपहर 12:00 बजे से
एल) ई-निविदा की वैधता	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली खोलने की तारीख से 90 दिन
एम) लेनदेन शुल्क (गैर-वापसी योग्य) (ई-निविदा में भाग लेने के लिए एमएसटीसी ई-भुगतान गेटवे के माध्यम से निविदाकर्ताओं द्वारा एमएसटीसी को अलग से भुगतान किया जाना है)	**एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा लगाए गए शुल्क के अनुसार।**

2. आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को अपनी आवश्यक पात्रता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, बैंक उनकी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3. बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

4. निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, भविष्य में जारी किया जाएगा, यह केवल आरबीआई की वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा जैसा कि ऊपर दिया गया है और इसे समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
कानपुर

ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना

प्रिय महोदय/महोदया,

भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर परिसर और बैंक की 03 आवासीय कॉलोनियों में सीधी और इंटरकॉम लाइनों के लिए एएमसी

भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर ने **बैंक परिसर और बैंक की 03 आवासीय कॉलोनियों में सीधी और इंटरकॉम लाइनों के लिए एएमसी' आमंत्रित की है।**

ई-टेंडरिंग एमएसटीसी लिमिटेड (https://mstcecommerce.com/eprocn) के ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। सभी पात्र और इच्छुक कंपनियों/एजेंसियों/फर्मों को ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। ई-निविदा की अनुसूची इस प्रकार है:

ई-निविदा सं.	**आरबीआई/कानपुर/एस्टेट/16/25-26/ईटी/828**
ए) अनुमानित लागत	**रु. 8,00,000/- (केवल आठ लाख रुपये) (जीएसटी @ 18% सहित)**
बी) ई-निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम ऑनलाइन (भाग I तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली) के माध्यम से https://mstcecommerce.com/eprocn किया जाएगा।
सी) ई-निविदा का प्रकार	**सीमित** (केवल आरबीआई, कानपुर के साथ 'इलेक्ट्रिकल वर्क्स' कारोबार में 5 लाख से ऊपर की श्रेणी के कार्यों के लिए पैनल में शामिल फर्मों और मेसर्स एडी एंटरप्राइजेज के लिए है)
डी) पक्षकारों (पार्टियों) के लिए डाउनलोड के लिए एनआईटी की तिथि की उपलब्धता	13 जनवरी, 2026 (मंगलवार) शाम 05:00 बजे से
ई) प्री-बिड मीटिंग (ऑफलाइन)	10 फरवरी, 2026 (मंगलवार) दोपहर 11:00 बजे **स्थान:** सम्पदा विभाग, दूसरी मंजिल, भारतीय रिजर्व बैंक, माल रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208001
एफ़) एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी **और एमएसटीसी पोर्टल पर विवरण अपलोड करें।** इसके अलावा, लेन-देन विवरण (यूटीआर नंबर) को estatekanpur@rbi.org.in को सूचित करें/अग्रेषित करें	हमारे खाता संख्या 186003001, आईएफएससी RBIS0KNPA01 (जहां '0' शून्य का प्रतिनिधित्व करता है) या डीडी में एनईएफटी के माध्यम से भुगतान की जाने वाली अनुबंध राशि का 2% भारतीय रिजर्व बैंक कानपुर में देय है। केवल सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।

जी) ई-निविदा शुल्क	शून्य
एच) वेबसाइट http://mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	12 फरवरी, 2026 (गुरुवार) सुबह 11:00 बजे से
आई) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	कार्य आदेश देने के 14 दिनों के भीतर।
जे) तकनीकी-वाणिज्यिक बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा को पूरा करने की तिथि और मूल्य बोली।	23 फरवरी, 2026 (सोमवार) सुबह 11:00 बजे तक
के) भाग- I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) के खुलने की तारीख और समय तथा भाग-II (मूल्य बोली) के खुलने की तारीख अलग से सूचित की जाएगी	23 फरवरी, 2026 (सोमवार) दोपहर 12:00 बजे से
एल) ई-निविदा की वैधता	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली खोलने की तारीख से 90 दिन
एम) लेनदेन शुल्क (गैर-वापसी योग्य) (ई-निविदा में भाग लेने के लिए एमएसटीसी ई-भुगतान गेटवे के माध्यम से निविदाकर्ताओं द्वारा एमएसटीसी को अलग से भुगतान किया जाना है)	**एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा लगाए गए शुल्क के अनुसार।**

2. आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को अपनी आवश्यक पात्रता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, बैंक उनकी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
3. बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
4. निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, भविष्य में जारी किया जाएगा, यह केवल आरबीआई की वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा जैसा कि ऊपर दिया गया है और इसे समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
कानपुर

कवर पेज: भाग I

भारतीय रिज़र्व बैंक
सम्पदा विभाग
कानपुर

नियम और शर्तें और तकनीकी विनिर्देश

ई-निविदा

भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर परिसर और बैंक की 03 आवासीय कॉलोनियों में सीधी और इंटरकॉम लाइनों के लिए एएमसी के लिए ई-निविदा

आरबीआई/कानपुर/एस्टेट/16/25-26/ईटी/828

_____ को जारी

	गतिविधि	तारीख
1	प्री-बिड मीटिंग	10 फरवरी, 2026 (मंगलवार) दोपहर 11:00 बजे
2	निविदा जमा करने की नियत तिथि	23 फरवरी, 2026 (सोमवार) सुबह 11:00 बजे तक

यह दस्तावेज भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की संपत्ति है। उक्त उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयोजन को छोड़कर, आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना किसी भी माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम पर इसकी प्रतिलिपि, वितरण या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। इस दस्तावेज़ की सामग्री का उपयोग, यहां तक कि अधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा यहां पर निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी, प्रकटीकरण सख्त वर्जित है और कॉपीराइट उल्लंघन के बराबर होगा और इस प्रकार, यह भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, सम्पदा विभाग, कानपुर ने इच्छुक पार्टियों को काम के बारे में पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें दी गई जानकारी को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती है और इसे सही मानता है, फिर भी भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके कोई भी अधिकारी या एजेंसियां या उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी या इससे जुड़ी किसी भी जानकारी की पूरी होने या सही होने के बारे में कोई वारंटी नहीं देते हैं और न ही कोई स्पष्ट या निहित प्रतिनिधित्व करते हैं।

यह जानकारी पूरी तरह से विस्तृत होने का दावा नहीं रखती है। इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि वे अपनी खुद की जांच करें। इस ई-निविदा से संबंधित वालों से अनुरोध है कि वे अपनी ओर से स्वयं जांच करें और उन्हें केवल खाली ई-निविदा डॉक्यूमेंट/फॉर्म में दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि निविदाकार द्वारा कोई उचित सावधानी नहीं बरती जाती है तो भारतीय रिज़र्व बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा।

यह जानकारी इस आधार पर दी गई है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी अधिकारी या एजेंसियों या उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों पर बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास एएमसी के साथ आगे न बढ़ने या एएमसी के कॉन्फ़िगरेशन को बदलने, इस दस्तावेज़ में दिखाए गए टाइमटेबल को बदलने या लागू होने वाली प्रक्रिया या कार्यप्रणाली को बदलने का अधिकार सुरक्षित है। उसे किसी भी इच्छुक पार्टी के साथ इस मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का भी अधिकार है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
कानपुर

विषय-सूची

ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना 1

कवर पेज: भाग I 3

अस्वीकरण.....4

विषय-सूची 5

ज्ञापन.....6

अनुभाग-I: ठेकेदारों के लिए सामान्य निर्देश और पात्रता मानदंड.....7

खंड II: बोलीदाताओं को निर्देश.....11

खंड III: अनुबंध की विशेष शर्त.....19

खंड IV: बोलीदाताओं का विवरण..... 24

खंड V: कार्य का दायरा..... 25

खंड VI: ई-खरीद के लिए महत्वपूर्ण निर्देश.....29

अनुलग्नक I: महत्वपूर्ण जानकारी..... 32

अनुलग्नक II: वेतन और ईपीएफ विवरण.....33

अनुलग्नक III: करारनामा/करार की शतें.....34

अनुलग्नक IV: अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची..... 44

अनुलग्नक- V: बैंकर प्रमाण पत्र..... 45

कवर पेज: भाग II..... 46

ज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक,
सम्पदा विभाग,
कानपुर

महोदया/प्रिय महोदय,

इसके बाद ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची की जांच करने के बाद और ई-निविदा को प्रभावित करने वाले के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल का दौरा और जांच करने के बाद, हम एतद्द्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपादित और निष्पादन की पेशकश करते हैं व मात्रा की संलग्न अनुसूची में उल्लिखित दरों पर और ई-निविदा की शर्तों में निर्दिष्ट विनिर्देशों और निर्देशों के साथ, करार की शर्तें, विशेष शर्तें, मात्रा और अनुबंध शर्तों की अनुसूची और ऐसी सामग्री के साथ जो इसके लिए निर्धारित की जाती हैं और अन्य सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकते हैं, निष्पादित किए जाएंगे।

2. यदि इस ई-निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम इसके द्वारा अनुबंध की उक्त शर्तों के नियमों और प्रावधानों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं या चूक होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को उक्त शर्तों में उल्लिखित राशि को जब्त करने और उनको भुगतान करने के लिए हम सहमत हैं।

3. **मैं/हम सफल बोलीदाता बनने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अनुबंध मूल्य के 2% के बराबर बयाना** राशि जमा करेंगे, इस राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। यदि मैं/हम ऐसा करने के लिए अनुबंध के अनुसार कार्य निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि यह राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

भवदीय,

स्थान: (स्टाम्प के साथ बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर)

दिनांक: (नाम)

खंड-I: ठेकेदारों के लिए सामान्य निर्देश और सामान्य नियम और शर्तें

1	**कार्य का नाम:**
	भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर परिसर और बैंक की 03 आवासीय कॉलोनियों में सीधी और इंटरकॉम लाइनों के लिए एएमसी
2	**पात्रता मानदंड:**
	भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा www.mstcecommerce.com पर ई-निविदा आमंत्रित की जाती है, जिनके दो भाग हैं: भाग I. (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) और भाग II. (वित्तीय बोली)। ये निविदा भारतीय रिज़र्व बैंक कानपुर के सम्पदा विभाग में 5 लाख रुपये से अधिक के 'विद्युत कार्य' श्रेणी के कार्यों के लिए सूचीबद्ध ठेकेदारों और मेसर्स ए डी एंटरप्राइजेज से आमंत्रित की जाती है।
2 (अ)	फर्म के पास ईएसआई संगठन से (के साथ पंजीकृत) नवीनतम प्रमाण पत्र, जैसा लागू हो, होना चाहिए। (प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति तकनीकी बोली के साथ अपलोड की जानी चाहिए)
2 (ब)	फर्म के पास ईपीएफ संगठन से नवीनतम प्रमाण पत्र होना चाहिए (के साथ पंजीकृत)। (प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति तकनीकी बोली के साथ अपलोड की जानी चाहिए)
2 (स)	फर्म को उत्तर प्रदेश राज्य की सेवाओं में जीएसटी के लिए उचित प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होना चाहिए। (प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति तकनीकी बोली के साथ अपलोड की जानी चाहिए)
2 (द)	फर्म उसी के अनुसार दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेगी। फर्मों को तकनीकी बोली के साथ www.mstcecommerce.com पर आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी ।
	ठेकेदारों के लिए सामान्य निर्देश: -
3	ठेकेदार प्रमाणित विश्वसनीयता वाले व्यक्तियों को नियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे और बैंक के परिसर में होने वाली किसी भी दिक्कत/अप्रिय घटना के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
4	कार्य पर उत्पन्न होने वाले विवाद के सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।
5	नियमित/निवारक कार्य के लिए आवश्यक उपकरण और मशीनरी, यदि कोई हो, ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाएगी। बैंक द्वारा इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
6	यहां उल्लिखित करार और दस्तावेज इस अनुबंध का आधार बनेंगे।
7	समय को इस अनुबंध का सार माना जाएगा और ठेकेदार एतद्द्वारा कार्य आदेश/स्वीकृति पत्र के दिन से कार्य शुरू करने के लिए सहमत है, जैसा कि उक्त शर्तों में प्रदान किया गया है और निविदा में निर्दिष्ट अनुरक्षण/मरम्मत कार्य करेगा।

8	इस अनुबंध के तहत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान केवल भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर में मासिक आधार पर संबंधित परिसर के केयरटेकर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सेवा रिपोर्ट/उपस्थिति पत्र प्रस्तुत करने के लिए किया जाएगा।
9	इस करार से उत्पन्न होने वाले या किसी भी तरह से जुड़े सभी विवादों को कानपुर में उत्पन्न माना जाएगा और केवल कानपुर की अदालतों के पास इसका फैसला करने का अधिकार क्षेत्र होगा।
10	बैंक के परिसर में काम करते समय अपने कर्मचारियों को हुई किसी भी दुर्घटना/क्षति के लिए बैंक कोई दायित्व स्वीकार नहीं करेगा। यह ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वह अपने श्रमिकों को बीमा प्रदान करे। इसके अलावा, बैंक की संपत्ति के नियमित रखरखाव की अवधि के दौरान, जिम्मेदारी का दायित्व ठेकेदार का होगा।
11	सौंपे गए कार्य को करने के लिए, ठेकेदार चिकित्सकीय और शारीरिक रूप से फिट व्यक्तियों को तैनात करेगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि व्यक्ति समय के पाबंद और अनुशासित हों और अपने कर्तव्य के प्रदर्शन में सतर्क रहें। ठेकेदार द्वारा इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्ति कार्य के दायरे में निर्दिष्ट लोगों में से होंगे। किसी भी परिस्थिति में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जाना चाहिए।
12	सौंपे गए कार्य की जिम्मेदारी संभालने के बाद, ठेकेदार कार्य के लिए प्रबंध करेगा और भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर या उसके नामांकित व्यक्ति के परामर्श से अपने कर्मियों को विधिवत काम सौंपेगा। इसके बाद, ठेकेदार समय-समय पर सौंपे गए कार्यों की समीक्षा करेगा और भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर को अपनी प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए सलाह देगा। ठेकेदार आगे भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर या इस संबंध में क्षेत्रीय निदेशक/संपदा विभाग द्वारा नामित अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों/अनुदेशों से बाध्य होगा और उनका पालन करेगा।
13	क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर या क्षेत्रीय निदेशक द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति ठेकेदार द्वारा तैनात व्यक्तियों की औचक जांच करने के लिए स्वतंत्र होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके द्वारा तैनात व्यक्ति प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं।
14	यदि ठेकेदार द्वारा इस प्रकार तैनात किया गया कोई भी व्यक्ति सही तरीके से काम नहीं करता है या अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करता है या कदाचार करता है या किसी गैरकानूनी कार्य या अव्यवस्थित आचरण में लिप्त है, तो ठेकेदार तुरंत वापस ले लेगा और भारतीय रिज़र्व बैंक कानपुर की रिपोर्ट पर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। इसके अलावा, उक्त व्यक्ति की ओर से उपरोक्त में से कोई भी कार्य होने की स्थिति में ठेकेदार भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर की मांग पर इस प्रकार तैनात विशेष व्यक्ति को तुरंत बदल देगा।
15	ठेकेदार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों सहित श्रम कानूनों के किसी भी उपबंध में चूक या उल्लंघन करने या कोई सूचना प्रस्तुत करने या उक्त विनियमों और नियमों के उपबंधों के तहत कोई विवरण प्रस्तुत करने या दाखिल करने की स्थिति में, जो भौतिक रूप से किया जाना है, के लिए असमर्थ है तो वह किसी भी अन्य दायित्व के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर को किसी भी व्यक्ति/ग्राहक द्वारा दावा की जा सकने वाली समस्त राशि का भुगतान करेगा।
16	बैंक और अनुबंध के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा तैनात ठेकेदार/व्यक्तियों के बीच कोई नियोक्ता और कर्मचारी संबंध नहीं होगा। ठेकेदार, अनुबंध की समाप्ति पर या ठेका की समाप्ति पर उसके द्वारा तैनात सभी श्रमिकों को भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर के परिसर से हटा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान/बाधा/समस्या स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पैदा नहीं करेगा।

17	ठेकेदार, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर को ठेकेदार द्वारा तैनात कर्मचारियों के संबंध में सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा, यदि इस प्रकार तैनात ठेकेदार का कोई कर्मचारी किसी भी प्रकार के विवाद में शामिल होता है, तो यह ठेकेदार की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि वह इसका विरोध करे। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर को पक्षकार बनाया जाता है और उसे मामले का सामना करना पड़ता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर को कोर्ट शुल्क और अन्य खर्चों के लिए किए गए वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा बैंक की मांग पर अग्रिम रूप से की जाएगी। इसके अलावा, ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर पर किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय या कोई अन्य दायित्व न आए है और यदि कोई हो, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
18	इस प्रकार तैनात कर्मियों की लापरवाही के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर की सरकारी संपत्ति का कोई भी नुकसान ठेकेदार से वसूल किया जाएगा और ठेकेदार को उचित सूचना देने के बाद इसका निर्धारण किया जाएगा। इस संबंध में यह निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा। हालांकि, ठेकेदार को क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर के पास अपील करने का अधिकार होगा, जिसका इस मामले में निर्णय अंतिम होगा।
19	ठेकेदार, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस करार के संबंध में संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान उसके संज्ञान में आ सकता है या जानकारी में आ सकता है, किसी भी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा और हर समय इसे गोपनीय रखेगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में वह सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न हो और इस दायित्व से ठेकेदार पूरी तरह से संतुष्ट हो।
20	ठेकेदार, अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक जरूरी हैं। ठेकेदार, बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या कहीं और या किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या प्रकट नहीं करेगा। ठेकेदार, अनुबंध के उद्देश्य के लिए उसके द्वारा तैनात व्यक्तियों द्वारा किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक हर्जाने का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार का दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या समाप्ति के बाद बना रहेगा।
21	ठेकेदार/एजेंसी "कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का अनुपालन करेगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शुकायत दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी, शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा। ठेकेदार, शिकायतकर्ता/पीड़ित को देय मौद्रिक मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

22	बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।
23	ठेकेदार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में परिकल्पित सभी श्रम नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य है और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है, जो कुल कार्यदिवसों और/या कार्य घंटों पर आधारित होना चाहिए, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है।
24	कार्यस्थल पर उत्पन्न होने वाले विवाद के सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।
25	यह कि इस निविदा के कई हिस्सों को ठेकेदार द्वारा पढ़ा गया है और ठेकेदार द्वारा पूरी तरह से समझा गया है।

स्थान: (स्टाम्प के साथ बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर)

दिनांक: (नाम)

खंड II: बोलीदाताओं को निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, कानपुर, http://mstcecommerce.com/eprocn पर दो भागों में ई-निविदा आमंत्रित करता है। यह निविदाएं सूचीबद्ध विद्युत ठेकेदारों जो 5 लाख रुपये से अधिक के कार्यों के लिए पंजीकृत हैं, और मेसर्स एडी एंटरप्राइजेज से भी आमंत्रित की जाती हैं, जैसा कि नीचे उप-अनुभाग 1 में उल्लेख किया गया है। पात्र बोलीदाताओं को भाग I. (तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा) और भाग II. (वित्तीय निविदा) ऑनलाइन जमा करनी होगी।

1. ई-निविदा दस्तावेज़

1.1. निविदा में दस्तावेज (भाग I और भाग II) शामिल होंगे। भाग I में तकनीकी-वाणिज्यिक शर्तें (सभी खंड और अनुलग्नक) के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए जारी की गई किसी भी अनुसूची, परिशिष्ट या शुद्धिपत्र आदि को शामिल किया गया है। भाग II में केवल वित्तीय बोली शामिल है। ई-निविदा दस्तावेज / निविदा आमंत्रित करने की सूचना http://mstcecommerce.com/eprocn से डाउनलोड किया जा सकता है।

1.2. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-निविदा दस्तावेजों का अच्छी तरह से अध्ययन करें।

1.3. ई-निविदा जमा होना, ई-निविदा दस्तावेजों के सावधानीपूर्वक अध्ययन और जांच के बाद इसके निहितार्थों की पूरी समझने के बाद, किया गया माना जाएगा।

2. निविदा दस्तावेजों को प्राप्त करना:

2.1. ई-निविदा दस्तावेज/निविदा आमंत्रित करने की सूचना http://mstcecommerce.com/eprocn से डाउनलोड की जा सकती है

2.2. इच्छुक पार्टियां, यदि वे चाहें तो सम्पदा विभाग से संपर्क कर सकती हैं

2.3. धारा VI की उपधारा *11* में इंगित फोन/फैक्स/ई-मेल पर '*आगे किसी भी स्पष्टीकरण के लिए* ई-खरीद के लिए महत्वपूर्ण निर्देश' शीर्षक पर संबंधित अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

3. बोली पूर्व बैठक

3.1. भारतीय रिज़र्व बैंक, बोली आमंत्रित करने की सूचना में उल्लिखित समय और स्थान पर बोली-पूर्व बैठकें आयोजित करेगा, ताकि किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया जा सके/परियोजना के संबंध में बोलीदाताओं को स्पष्टीकरण दिया जा सके और उन्हें इसके संबंध में प्रासंगिक जानकारी दी जा सके।

4. ई-निविदा दस्तावेज़ में संशोधन

4.1. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, भारतीय रिज़र्व बैंक, किसी भी कारण से, चाहे अपनी पहल पर या किसी संभावित निविदाकर्ता द्वारा उठाए गए स्पष्टीकरण या प्रश्न के जवाब में, उक्त ई-निविदा में संशोधन कर सकता है और इसे संभावित निविदाकर्ताओं की जानकारी के लिए http://mstcecommerce.com/eprocn पर अपलोड किया जाएगा।

4.2. ऐसे संशोधनों को ध्यान में रखते हुए भावी बोलीदाताओं को अपनी बोलियां तैयार करने के लिए उचित समय देने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेक से बोलियां जमा करने की समय सीमा को बढ़ा सकता है।

5. निविदा तैयार करना

5.1. भाग I/तकनीकी - वाणिज्यिक बोली

a) सभी भाग और अनुलग्नक तकनीकी-वाणिज्यिक बोली का हिस्सा हैं। **सभी भागों और अनुलग्नकों पर बोलीदाताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।**

b) बोलीदाता को विभिन्न भागों में निर्दिष्ट सभी विवरण भरने होंगे और उत्पाद/कार्य के पत्रक/आवश्यक दस्तावेज/ब्रोशर आदि संलग्न करने होंगे।

बोलीदाताओं को पूर्व-योग्यता मानदंडों के लिए सभी दस्तावेज और निविदा में उल्लिखित अन्य दस्तावेज http://mstcecommerce.com/eprocn पर सभी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति अपलोड करके जमा करने होंगे।

6. भाग II/वित्तीय बोली:

6.1. **बोली की मुद्रा:** बोली की कीमतें केवल भारतीय रुपये में ही उद्धृत की जानी चाहिए। इन कीमतों में कार्य से संबंधित सभी लागतें शामिल होनी चाहिए, जिनमें जेब खर्च/आयोजन व्यय, औजार, ईंधन, तेल, श्रमिकों की वर्दी, निविदा में उल्लिखित अन्य सभी लॉजिस्टिक्स, सभी कर (जीएसटी सहित), शुल्क, उपकर, बीमा, परिवहन, प्रवेश कर, श्रम, अन्य सरकारी कर, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी और ईपीएफ/ईएसआई अंशदान आदि शामिल हैं, जो नियमों के अनुसार लागू हों।

6.2. ठेकेदार बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों में अनुबंध की अवधि **तक सभी प्रकार के जोखिमों को कवर करने के लिए अपनी लागत पर सभी बीमा लेगा** और यह निम्नलिखित जोखिमों को कवर करेगा-

a) साइट पर ठेकेदार के 02 कर्मचारियों के लिए कामगार मुआवजा नीति।

b) तृतीय पक्ष देयता बीमा पॉलिसी और

c) ठेकेदार की सभी जोखिम नीति

नोट: ये पॉलिसियां अनुबंध की अवधि पूरी होने तक और आरबीआई के संयुक्त नाम पर वैध होंगी और आरबीआई के नाम के साथ ठेकेदार के नाम पहले होगा। यदि ठेकेदार इन पॉलिसियों को प्रदान नहीं करता है, तो बैंक उपरोक्त बीमा पॉलिसियों को स्वयं लेने और ठेकेदार के बिल या किसी अन्य कार्रवाई से उसकी लागत वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6.3 कीमत को मूल्य अनुसूची के अनुरूप सख्ती से उद्धृत किया जाना चाहिए, किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना चाहिए।

6.4 बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल्य अनुसूची के सभी कॉलम विधिवत भरे जा सकते हैं, और कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा गया है। भाग-II/वित्तीय बोली खोलने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.5 यदि मूल्य अनुसूची का कोई कॉलम खाली पाया जाता है, तो संबंधित बोलीदाताओं की निविदा को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और आरबीआई द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। हालांकि, बैंक इस मामले में *यदि आवश्यक हो, तो 'अनुबंध की विशेष शर्त'* खंड III की उपधारा 1.2 के अनुसार भी समीक्षा कर सकता है।

6.6 प्रत्येक बोलीदाता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह सभी स्थानीय परिस्थितियों और कारकों से पूरी तरह परिचित हो, जिसका अनुबंध के कार्य निष्पादन और वस्तुओं की लागत पर कोई

प्रभाव पड़ेगा। बोलीदाताओं द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद किसी भी स्थानीय स्थिति या कारक के कारण वस्तुओं की डिलीवरी की कीमत या समय अनुसूची में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. बोलियों की वैधता की अवधि

बोली आमंत्रित की नोटिस में **दर्शाई गई अवधि के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृति हेतु बोलियां वैध रहेंगी।** यदि आवश्यक हुआ, तो इस अवधि को पारस्परिक रूप से और बढ़ाया जाएगा।

8. बयाना धन जमा (ईएमडी):

8.1 सफल बोलीदाता कार्य आदेश देने के 14 दिनों के भीतर लेखा संख्या 186003001 और आईएफएससी-RBIS0KNPA01 को क्रेडिट द्वारा एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी के रूप में ईएमडी के रूप में अनुबंध मूल्य का केवल 2 प्रतिशत जमा करेगा।

8.2 सफल बोलीदाता की सुरक्षा जमा राशि के लिए ईएमडी, अनुबंध की अवधि पूरी होने के बाद बिना ब्याज के बोलीदाता को वापस कर दी जाएगी।

9. निम्नलिखित परिस्थितियों में ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा: सफल बोलीदाता के मामले में यदि वह निर्धारित नियमों और शर्तों और समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है।

10. बोलियां जमा करने की प्रक्रिया

इस निविदा के लिए दो-भाग वाली प्रणाली रखने का प्रस्ताव है।

10.1. **तकनीकी - वाणिज्यिक बोली/भाग I में निम्नलिखित मदें शामिल हैं**

a) भाग I/टेक्नो - वाणिज्यिक बोली (सभी खंड और अनुलग्नक) (भाग I / तकनीकी - वाणिज्यिक बोली और कार्य का नाम जैसा कि अनुभाग-I की उपधारा 1.1 में उल्लिखित *है: ठेकेदारों के लिए सामान्य निर्देश और सामान्य नियम और शर्तें*" कृपया ध्यान दें कि कीमतों को भाग I/तकनीकी - वाणिज्यिक बोली में इंगित नहीं किया जाना चाहिए। तकनीकी वाणिज्यिक बोली http://mstcecommerce.com/eprocn को प्रस्तुत की जा सकती है।

b) अनुलग्नक-IV में सूचीबद्ध पूर्व-योग्यता का दस्तावेजी प्रमाण http://mstcecommerce.com/eprocn को ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए।

c) निविदा के विधिवत भरे हुए, हस्ताक्षरित और मुहर लगे भाग -1 के सभी पृष्ठों की स्कैन की गई प्रतियां एमएसटीसी पोर्टल में अपलोड की जानी चाहिए।

10.2. **भाग II/वित्तीय बोली:**

a) भाग II/वित्तीय बोली http://mstcecommerce.com/eprocn को प्रस्तुत की जा सकती है|

b) कोई सशर्त/वैकल्पिक उद्धरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

c) बोलीदाताओं को बोलियां प्राप्त होने के बाद अपनी बोलियों में बदलाव या संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10.3. ई-निविदाओं की प्राप्ति

a) ई-निविदा बोलियां बोली आमंत्रित करने की सूचना **के खंड** 'जे' *में उल्लिखित निर्धारित समय और तारीख तक स्वीकार की जाएंगी*। इसके बाद प्राप्त ई-निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

10.4. **भाग I खोला जाना**

a) तकनीकी - वाणिज्यिक बोलियां निर्धारित समय और तारीख पर खोली जाएंगी जैसा कि संपत्ति विभाग, आरबीआई कानपुर में **बोली आमंत्रित करने की सूचना** के खंड *'के'* में निर्दिष्ट है । बोलीदाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि यदि चाहें तो उपस्थित हो सकते हैं।

10.5. भाग I की जांच

a) भाग I का मूल्यांकन अनुबंध की विशेष शर्त (धारा III) में इंगित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

b) भाग I के मूल्यांकन के बाद, शॉर्ट-लिस्ट किए गए बोलीदाताओं को सभी बोलीदाताओं को ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा। भाग I पर बैंक का निर्णय अंतिम होगा और चर्चा के लिए खुला नहीं होगा।

11. भाग II /वित्तीय बोली खोला जाना

शॉर्ट-लिस्ट किए गए बोलीदाताओं का भाग II बाद में खोला जाएगा, और ऐसे शॉर्ट-लिस्ट किए गए बोलीदाताओं को तदनुसार तारीख और समय के बारे में सूचित किया जाएगा। शॉर्ट-लिस्ट किए गए बोलीदाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि यदि चाहें तो उपस्थित हो सकते हैं।

12. भाग II की जांच

भाग II का मूल्यांकन अनुबंध की विशेष शर्त (खंड III) में इंगित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। तदनुसार, सबसे कम बोली लगाने वाले (एल 1) की घोषणा की जाएगी। बैंक को आदेश देते समय/संविदा पर हस्ताक्षर करते समय मात्रा में भिन्न-भिन्न होने का अधिकार है ।

13. किसी भी बोली को स्वीकार करने और किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार

ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी समय किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, जिससे प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाताओं पर कोई दायित्व नहीं पड़ता है। बैंक किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित कारणों से अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी चरण में चयन प्रक्रिया को रद्द करने/शून्य करने का अधिकार सुरक्षित रखता है:

a) यदि कोई बोली प्राप्त नहीं होती है।
b) किसी भी ऐसी घटना के घटने के कारण जिससे चयन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना संभव नहीं है।
c) बोलीदाताओं की ओर से संभावित सहयोग/शरारत, प्रतिस्पर्धा में हेरफेर करना और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता, कोई अन्य कारण, जिसके लिए बैंक की राय में चयन प्रक्रिया को रद्द करना आवश्यक हो जाता है
d) ऐसी किसी भी घटना के घटित होने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक सभी बोलीदाताओं को ऐसे निर्णय के 7 दिनों या किसी भी उचित समय के भीतर सूचित करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूति को 15 दिनों के भीतर या इस तरह के नोटिस जारी करने के किसी भी उचित समय के भीतर तुरंत वापस कर देगा। भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में किसी भी बोलीदाता को कोई कारण या स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। इस खंड के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की देयता बोली प्रतिभूति को वापस करने तक ही सीमित है और इस खाते पर बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की लागत/व्यय की कोई अन्य प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
e) यदि बैंक की राय है कि प्राप्त बोलियां आर्थिक रूप से या अन्यथा व्यवहार्य नहीं हैं या उपरोक्त उपखंड (ए) से (डी) में दिए गए कारणों से स्वीकार्य नहीं हैं तो बैंक प्रक्रिया को फिर से निविदा देने या किसी सरकारी एजेंसी या अर्ध सरकारी एजेंसी द्वारा कार्य कराने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
f) बैंक बोलीदाता द्वारा किसी भी अतिरिक्त शर्तों के निर्धारण को हतोत्साहित करता है।

14. <u>बीमा</u>:

ठेकेदार अनुबंध शुरू होने से लेकर उसके खत्म होने तक सभी तरह के जोखिमों को कवर करने के लिए अपने खर्च पर सभी बीमा करवाएगा, जो बैंक (पहले नाम) और ठेकेदार के संयुक्त नाम से होंगे, और इसमें नीचे दिए गए जोखिम शामिल होंगे।

- साइट पर ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए कामगार मुआवजा नीति।
- कुल 10 लाख के लिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी और प्रति दुर्घटना 2.50 लाख की सीमा के साथ।
- ठेकेदार की सभी जोखिम नीति।

नोट: ये नीतियां अनुबंध के पूरा होने तक और आरबीआई और फर्म के संयुक्त नाम पर वैध होंगी, जिसमें आरबीआई का नाम पहला होगा। यदि ठेकेदार इन पॉलिसियों को प्रदान नहीं करता है, तो बैंक उपरोक्त बीमा पॉलिसियों को स्वयं लेने और ठेकेदार के बिल या किसी अन्य कार्रवाई से उसकी लागत वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

15. <u>सुरक्षा कोड</u>

a) निष्फल ड्रेसिंग और रूई की पर्याप्त आपूर्ति सहित प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों को आसानी से सुलभ स्थान पर रखा जाएगा।
b) घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाएगा, ऐसे मामलों में जहां चोट के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।
c) उन सभी कार्यों के लिए जो जमीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते हैं, श्रमिकों के लिए उपयुक्त और मजबूत सिंगल/डबल मचान प्रदान किए जाने चाहिए ।
d) कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होनी चाहिए और दो आसन्न पायदानों के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मज़दूर लगाया जाएगा।

16. <u>गैर-प्रकटीकरण खंड</u>

a) ठेकेदार इस अनुबंध के संबंध में अपने अनुबंध की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों वगैरह की कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण, जो उसके पास या जानकारी में आती हैं, उसे सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा और हर समय उन्हें पूरी तरह से गोपनीय रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके कि जब तक इसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए ज़रूरी न हो। ठेकेदार, नियोक्ता की पहले से लिखित सहमति के बिना, किसी भी पेशेवर या तकनीकी दस्तावेज या कहीं और काम की कोई भी जानकारी प्रकाशित नहीं करेगा, न ही प्रकाशित करने की अनुमति देगा, और न ही खुलासा करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के खुलासे के कारण नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को मुआवज़ा देगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के खुलासे के कारण नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को मुआवज़ा देगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने पर इसे ठेकेदार की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता को नुकसान का दावा करने और कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
b) ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी ज़रूरी कदम उठाएगा ताकि यह तय हो सके कि करार के तहत गोपनीय जानकारी को ज़ाहिर न करने की सभी शर्तें पूरी तरह से मानी जाएं।
c) गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार की ज़िम्मेदारियाँ, किसी भी कारण से इस करार के खत्म होने या समाप्त होने के बाद भी बनी रहेंगी।

d) इसके गवाह के तौर पर, दोनों पक्षों ने ऊपर बताई गई तारीख को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

1. **<u>कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न</u>**

ठेकेदार/एजेंसी "कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का अनुपालन करेगी। बैंक के परिसर में अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा। ठेकेदार शिकायतकर्ता/पीड़ित को देय मौद्रिक मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

17. <u>सीएलआरए अधिनियम</u>

a) गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार की ज़िम्मेदारियाँ, किसी भी कारण से इस करार के खत्म होने या समाप्त होने के बाद भी बनी रहेंगी।
b) जब कभी भी ठेकेदार 20 से अधिक कामगारों को ठेका श्रमिकों के रूप में नियोजित करता है, तो वह सीएलआरए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करेगा।
c) कि इस अनुबंध के कई हिस्सों को ठेकेदार ने पढ़ लिया है और पूरी तरह समझ लिया है।

18. <u>सत्यनिष्ठा समझौता:-</u>

नियोक्ता की ओर से किसी भी लाभ की तलाश या स्वीकार नहीं करने का वादा करना, जो कानूनी रूप से उपलब्ध नहीं है। नियोक्ता सभी बोली लगाने वालों के साथ समानता और तर्क के साथ व्यवहार करेगा। बोली लगाने वालों की ओर से यह वादा कि वे मूल्यों, विनिर्देशों, प्रमाणन, सहायक अनुबंधों आदि के संबंध में दूसरे बोली लगाने वालों के साथ कोई फायदा या समझौता नहीं करेंगे। बोली लगाने वाले नियोक्ता द्वारा व्यावसायिक संबंधों के रुप में दी गई कोई भी जानकारी दूसरों को नहीं देंगे और पीसी/आईपीसी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं करेंगे। बोली लगाने वालों को एजेंटों/ब्रोकरों या किसी अन्य मध्यस्थ को किए जाने वाले भुगतान का खुलासा करना होगा। बोली लगाने वालों को किसी भी दूसरी कंपनी के साथ किसी भी उल्लंघन का खुलासा करना होगा जो भ्रष्टाचार विरोधी सिद्धांत पर असर डाल सकता है।

19. <u>सत्यनिष्ठा</u>

भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षा है कि इस अनुबंध के तहत ठेकेदार विशेष रूप से अनुबंध की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करे। इस नीति के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक: इन प्रावधानों के प्रयोजन के लिए, नीचे दी गई शर्तों को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

a) "भ्रष्ट आचरण" का अर्थ है जनता की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए किसी भी मूल्यवान चीज़ की पेशकश, देना, प्राप्त करना या याचना करना और
b) "धोखाधड़ी वाला आचरण" का मतलब है, अनुबंध को प्रभावित करने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से पेश करना, जिससे नियोक्ता को नुकसान हो, और इसमें आवेदकों/बोली लगाने वालों के बीच मिलीभगत वाली प्रथा (बोली जमा करने से पहले या बाद में) शामिल

है, जिसका उद्देश्य बोली की कीमत को नकली गैर-प्रतिस्पर्धी स्तर पर तय करना और नियोक्ता को स्वतंत्र और खुली प्रतिस्पर्धा के फायदे से वंचित करना है।

c) "मिलीभगत आचरण" का अर्थ है दो या दो से अधिक बोलीदाताओं के बीच एक योजना या व्यवस्था, जिसे कृत्रिम, गैर-प्रतिस्पर्धी स्तर पर बोली की कीमतें स्थापित करने के लिए रचा गया है; तथा

d) "जबरदस्ती का आचरण" का अर्थ है खरीद प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रभावित करने या अनुबंध के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना।

e) अगर यह तय होता है कि जिस ठेकेदार को काम देने की सिफारिश की गई है, उसने संबंधित अनुबंध के लिए बोली लगाते समय भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी की है, तो काम देने का प्रस्ताव खारिज कर दिया जाएगा,

f) एक बोलीदाता को अनिश्चित काल के लिए या निश्चित अवधि के लिए, एक अनुबंध/ कई अनुबंशों को सौंपने के लिए अयोग्य घोषित करेगा, यदि यह किसी भी समय यह निर्धारित करता है कि ठेकेदार अनुबंध को पूरा करने या निष्पादित करने में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लगा हुआ है।

21. विवाद: मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटान

a) अनुबंध या काम को पूरा करने से जुड़े किसी भी तरह के सभी विवाद और मतभेद (चाहे काम के दौरान या उसके पूरा होने के बाद, और चाहे अनुबंध खत्म होने, छोड़ने या तोड़ने से पहले या बाद में) बैंक को भेजे जाएंगे और बैंक ही उन्हें सुलझाएगा, जो अपना फैसला लिखित में देगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। किसी भी अपवाद के मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। लेकिन यदि ठेकेदार किसी भी मामले पर असंतुष्ट है, तो ठेकेदार इस तरह के निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस दे सकता है, जिसमें यह आवश्यक है कि विवाद के मामलों पर मध्यस्थता की जाए। ऐसे लिखित नोटिस में उन मामलों का उल्लेख होगा, जो विवाद या मतभेद में हैं जिनके बारे में ऐसा लिखित नोटिस दिया गया है। यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं, तो इस उद्देश्य के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। पार्टियों द्वारा नामित किए गए दोनों मध्यस्थ, एक पीठासीन मध्यस्थ या अंपायर नामित करेंगे।

b) एक मध्यस्थ या कई मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, को पिछले खंड में बताए गए मामलों को छोड़कर, किसी भी प्रमाणपत्र, राय, निर्णय, अनुरोध या नोटिस को खोलने, समीक्षा करने और बदलने का अधिकार होगा, और उन सभी विवादों को तय करने का भी अधिकार होगा जिन्हें मध्यस्था के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और जिनके बारे में ऊपर बताए अनुसार नोटिस दिया गया होगा।

c) एक मध्यस्थ या कई मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के तहत तय समय सीमा के अंदर, रेफरेंस शुरू होने की तारीख से अपना फैसला देंगे। अगर मध्यस्था की कार्यवाही के दौरान पार्टियाँ आपसी सहमति से अपने विवाद या मतभेद को सुलझा लेती हैं या समझौता कर लेती हैं, तो पार्टियों द्वारा निपटान या समझौते का संयुक्त ज्ञापन फाइल करने पर, एक मध्यस्थ या कई मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, उस निपटान या समझौते की शर्तों के अनुसार फैसला सुनाएगा। मध्यस्थ न्यायाधिकरण की फीस सहित मध्यस्थता की कार्यवाही, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होगी। मध्यस्थता का स्थान आरबीआई, कानपुर होगा।

d) इस सबमिशन को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिए एक प्रस्तुति माना जाएगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय, जैसा भी मामला हो, पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा. इस बात पर सहमति बनी है कि ठेकेदार किसी भी ऐसे मामले, सवाल या विवाद को मध्यस्था में भेजने की वजह से काम में देरी नहीं करेगा, बल्कि पूरी लगन से काम जारी रखेगा और जब तक मध्यस्थ या मध्यस्थों का फैसला नहीं आ जाता, तब तक बैंक के फैसले का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी निर्णय, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार को काम को असल में करने के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की उसकी ज़िम्मेदारियों से मुक्त नहीं करेगा। बैंक और ठेकेदार यहाँ यह भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता, अनुबंध के तहत किसी भी कार्रवाई के अधिकार के लिए एक ज़रूरी शर्त होगी।

e) उत्पन्न होने वाले सभी विवाद कानपुर में सक्षम न्यायालय के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

22. कर्तव्य और अनुशासन

एजेंसी निम्नलिखित का पालन करने के लिए बाध्य होगी:

a) भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर के परिसर में किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि की अनुमति नहीं देना या उसे अंजाम नहीं देना, या अनुशासनहीनता पैदा नहीं करना।
b) अपने कर्मचारियों के सभी बकाया का भुगतान करना और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर को किसी भी ज़िम्मेदारी से मुक्त और सुरक्षित रखना।
c) अपने कर्मचारियों के व्यवहार, उनके मतदान और वर्दी के लिए जिम्मेदार होना और भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर और उसके प्रतिनिधियों के कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रति अच्छा आचरण, सहयोग और अनुशासन सुनिश्चित करना।
d) भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर द्वारा सूचित किए गए कर्मचारियों के खिलाफ उचित सुधारात्मक और अनुशासनात्मक कार्रवाई करना।
e) करार खत्म होने पर, एजेंसी अपने कर्मचारियों को सभी कानूनी भुगतान करने और दूसरी सभी कानूनी ज़िम्मेदारियों और देनदारियों को पूरा करने के लिए ज़िम्मेदार होगी और भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर के पक्ष में उचित विमोचन(डिस्चार्ज) प्राप्त करेगी, ताकि भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर पर कोई ज़िम्मेदारी या देनदारी न आए।

23. प्रतिबंधित /अयोग्य करना

अगर काम पूरा नहीं होता है, तो बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह ठेकेदार, उसके सहयोगियों और उन संस्थाओं को, जिनमें उसकी दिलचस्पी है, बैंक में कोई भी अनुबंध देने से रोक दे। बैंक को यह अधिकार भी है कि वह ऐसे ठेकेदार को, जो इस अनुबंध के तहत अपनी अनुबंध की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहता है, तीन साल की अवधि के लिए बैंक की किसी भी निविदा में हिस्सा लेने या बैंक में कोई भी काम दिए जाने से रोक दे। बैंक ठेकेदार को प्रतिबंधित करने से पहले ठेकेदार को 10 दिन का नोटिस जारी करेगा और ठेकेदार द्वारा इस तरह के नोटिस पर दिए गए जवाब, यदि कोई हो, पर विचार करेगा। इस संबंध में क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

स्थान: (स्टाम्प के साथ बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर)

तारीख: (नाम)

खंड III: अनुबंध की विशेष शर्त

1. निविदा का मूल्यांकन

1.1. **भाग I (टेक्नो-कमर्शियल बोली):**

बैंक अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिस्पॉन्सिव टेक्नो-कमर्शियल बोली की जांच और मूल्यांकन करेगा। सभी योग्य बोलीकर्ता भाग II/वित्तीय बोली खोलने के लिए ज़िम्मेदार होंगे।

1.2. **भाग II (वित्तीय बोली):**

a) भाग II/वित्तीय बोली का मूल्यांकन अनुबंध की कुल लागत के आधार पर किया जाएगा। बोली लगाने वालों में सबसे कम बोली लगाने वालों को एल1 बोलीदाता कहा जाएगा। बैंक उद्धृत मूल्य का औचित्य/विवरण पूछ सकता है। हालांकि, जो निविदाएं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और/या किसी अन्य श्रम कानून के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें अमान्य माना जाएगा।

b) अगर किसी बोली लगाने वाले द्वारा बताई गई कीमत में इकाई मूल्य और क्कुल मूल्य (जो इकाई मूल्य को मात्रा से गुणा करके मिलता है) में कोई गड़बड़ी होती है, तो इकाई मूल्य को ही सही माना जाएगा और कुल मूल्य को उसी हिसाब से ठीक किया जाएगा, जब तक कि आरबीआई को यह न लगे कि बोली लगानेवाले ने इकाई मूल्य में दशमलव बिंदु लगाने में गलती की है, ऐसी स्थिति में बताए गए कुल मूल्य को ही सही माना जाएगा और इकाई मूल्य को उसी हिसाब से ठीक किया जाएगा।

c) अगर कुल मूल्य में कोई गलती है, जिसे उप-योग जोड़कर और/या घटाकर निकाला गया है, तो उप-योग ही माना जाएगा और कुल को ठीक किया जाएगा; और

d) यदि शब्दों और आंकड़ों में व्यक्त राशि के बीच कोई विसंगति है, तो शब्दों में राशि उपरोक्त उपखंड 'बी' और 'सी' के अधीन लागू होगी।

e) अगर किसी मद की दरें भरी नहीं हैं या खाली पाई जाती हैं, तो बैंक ऐसे मद की दर के मूल्यांकन के लिए बोली लगाने वालों में से सबसे ज़्यादा बताई गई दरों को लेगा।

f) हालांकि, बोलीदाता को एल1 बोलीदाता घोषित किए जाने की स्थिति में ऐसी मद के लिए बोलीदाता को सबसे कम उद्धृत दरें देय होंगी।

g) अगर अलग-अलग मदों के कुल जोड़ में कोई गणितीय गलती होती है, तो मालिक सही कुल जोड़ लगाएगा और वही मान्य होगा।

h) टाई की स्थिति में, जहां कई बोलीदाताओं ने अपनी वित्तीय बोलियों में समान न्यूनतम राशि का उल्लेख किया है, तो काम उस बोलीदाता को दिया जाएगा, जिसका पिछले तीन वित्तीय वर्षों यानी वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में सबसे अधिक औसत वार्षिक कारोबार है। हालांकि, अंतिम निर्णय आरबीआई का होगा और वह सभी बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

i) ठेकेदार से अपेक्षा की जाती है कि वह कार्य को पूरा करने के लिए शामिल लागत के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद, अनुबंध की सभी विशिष्टताओं और शर्तों पर विचार करने के बाद प्रत्येक मद के लिए दर उद्धृत करे। इससे किसी भी मद के विनिर्देश में कमी या बदलाव होने पर लाभ या लाभ के नुकसान से बचा जा सकेगा। अगर यह देखा जाता है कि किसी मद के लिए निविदा देने वाले ने जो रेट बताए हैं, वे असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा या बहुत कम हैं, तो निविदा अस्वीकृत करने का यह कारण काफ़ी होगा, जब तक कि बैंक, निविदाकर्ता द्वारा माँगने पर दिए गए दर के अंवेषण की जाँच करके, दर की उचितता के बारे में संतुष्ट न हो जाए।

2. <u>समझौते/अनुबंध का निष्पादन</u>:

बैंक से अपनी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल बोलीदाता उसके चौदह दिनों के भीतर औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। समझौते के निष्पादन के लिए अपेक्षित स्टांप पेपर की लागत बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी। समझौते के लेख का प्रारूप अनुलग्नक III में प्रदान किया गया है, हालांकि, बैंक समझौते में अतिरिक्त नियमों और शर्तों को शामिल करता है। यदि चयनित ठेकेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या काम करने में विफल रहता है, तो आशय पत्र को रद्द माना जाएगा।

3. <u>अनुबंध की वैधता:</u>

प्रारंभिक अनुबंध 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 (वित्त वर्ष 2023-24) तक वैध होगा और अनुबंध की समाप्ति तक सहमत नियमों और शर्तों और संतोषजनक सेवाओं पर दो साल की अवधि के लिए नवीनीकरण के अधीन। हालांकि, भुगतान में वृद्धि केंद्र सरकार की प्रचलित न्यूनतम मजदूरी और सांविधिक करों (राज्य/केंद्रीय) के अनुसार की जाएगी। अनुबंध की अवधि के दौरान लाभ और अन्य निष्क्रिय घटक में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।

<u>4. चूक के लिए समाप्ति</u>

4.1. करार की अवधि के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर द्वारा एक महीने का नोटिस देकर या उसके बदले में एक महीने के शुल्क के भुगतान पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। अनुबंध की समाप्ति या अनुबंध के गैर-नवीनीकरण के मामले में, ठेकेदार तीन महीने के लिए या बैंक द्वारा सलाह के अनुसार, जो भी पहले हो, समान नियमों और शर्तों पर सेवाएं प्रदान करना जारी रखेगा। बैंक अनुबंध के उल्लंघन के लिए किसी अन्य उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, सात दिनों (07) दिनों तक बोलीदाता को भेजी गई चूक की लिखित सूचना और बोलीदाता की विफलता और डिफ़ॉल्ट को ठीक करने के लिए किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव करने और/या निष्पादित करने की उपेक्षा पर, इस अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है।

a) यदि बोलीदाता अनुबंध में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर किसी भी या सभी मदों को वितरित करने में विफल रहता है; या

b) यदि बोलीदाता अनुबंध के तहत किसी अन्य दायित्व (दायित्वों) को पूरा करने में विफल रहता है।

4.2. चूक के कारण अनुबंध खत्म होने पर बोलीदाता को बैंक में किसी भी निविदा या काम के प्रदान किए जानी की प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोकने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

4.3. ऐसी स्थिति में ठेकेदार किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा।

<u>5.दिवालियापन के लिए समाप्ति:</u>

बैंक किसी भी समय बोलीदाता को लिखित नोटिस देकर अनुबंध खत्म कर सकता है, बिना बोलीदाता को कोई मुआवज़ा दिए, अगर बिडर दिवालिया हो जाता है या किसी और तरह से इंसॉल्वेंट हो जाता है, बशर्ते कि इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से बैंक के किसी भी अधिकार या उपाय पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, जो उसे पहले से मिला हुआ है या बाद में मिलेगा।

<u>6.बोलीदाता द्वारा अनुबंधों की समाप्ति</u>

अगर बैंक द्वारा प्रमाण पत्र के तहत देय राशि का भुगतान बकाया रहता है और बैंक द्वारा बोलीदाता/बोलीदाताओं को लिखित नोटिस देने के तीस दिनों के बाद भी भुगतान नहीं किया जाता है, या अगर बैंक ऐसे किसी प्रमाण पत्र को जारी करने में दखल देता है या रुकावट डालता है, या अगर बैंक बिना किसी कारण के अनुबंध को रद्द कर देता है, या अगर बैंक के इंजीनियर या बैंक के आदेश से या किसी न्यायलय के किसी निषेधाज्ञा या अन्य आदेश से काम तीन महीने के लिए रोक दिया जाता है, तो ऐसे किसी भी मामले में, बोलीदाता को बैंक को लिखित नोटिस देकर अनुबंध खत्म करने की आज़ादी होगी और उसे बैंक से किए गए सभी कामों का भुगतान और अनुबंध के उद्देश्य से आपूर्त किए गए या खरीदे गए या तैयार किए गए किसी भी प्लांट या सामग्री पर हुए किसी भी नुकसान की भरपाई पाने का अधिकार होगा।

7. भुगतान: न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआई (नवीनतम अधिनियम के अनुसार)

ठेकेदार अपने खर्च पर भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर को दी जाने वाली ऊपर बताई गई सेवाओं के संबंध में ज़रूरी बीमा कवर लेगा और ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के वैधानिक प्रावधानों का पालन करेगा; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम; कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923; मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; कर्मचारी भविष्य निधि (और विविध प्रावधान) अधिनियम, 1952; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; नियोक्ता दायित्व अधिनियम, 1938; और/या कोई अन्य नियम/विनियम और/या अधिनियम जो उन पर लागू हो सकते हैं या समय-समय पर संशोधित हो सकते हैं, के वैधानिक प्रावधानों का पालन करेगा। ठेकेदार बैंक को उन सभी दावों से बचाएगा जो बैंक पर किए जा सकते हैं, चाहे वे ऊपर बताए गए अधिनियमों के तहत हों या अनुबंध की अवधि के दौरान लागू किसी अन्य अधिनियम के तहत हों।

अगर ठेकेदार इस करार के तहत और/या बताए गए अधिनियमों, नियमों/विनियमों और/या इनके तहत बनाए गए किसी भी उप-नियमों या नियमों में से किसी भी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में विफल होता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर को ऐसे किसी भी नुकसान या खर्च को वसूलने का अधिकार होगा, जो उसे ऐसे दावों, मांग, नुकसान या चोट की वजह से उठाना पड़ सकता है, और यह वसूली ठेकेदार के मासिक भुगतान और सुरक्षा जमा, अगर कोई हो, से की जाएगी।

ठेकेदार भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर पर सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ अगले महीने के 05 वें कार्य दिवस तक मासिक चालान जारी करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर ठेकेदार को देय राशि से समय-समय पर लागू पाए जाने पर कर की लागू दर के अनुसार स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करेगा।

ठेकेदार द्वारा लगाए गए कामगारों को आरटीजीएस/एनईएफटी से प्रत्येक माह की 05 तारीख को या उससे पहले भुगतान किया जाना चाहिए।

उद्धृत मूल्य में अनुबंध अवधि के लिए सभी कर, वेतन, ईपीएफ, ईएसआईसी, तीन दिनों के राष्ट्रीय अवकाश (26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर) के लिए अतिरिक्त वेतन, श्रम दिवस (1 मई), वर्दी, जूते, बीमा आदि शामिल होंगे। वार्षिक आधार पर अनुबंध के नवीनीकरण के समय नवीनीकरण राशि केंद्र सरकार के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पर आधारित होगी। ठेकेदार को इस तरह के बढ़े हुए ईपीएफ/ईएसआईसी/मजदूरी के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। **(जीएसटी सहित)।**

ठेकेदार को भुगतान के लिए राष्ट्रीय अवकाश, श्रम दिवस सहित मजदूरी के अंतर के साथ-साथ पीएफ, ईएसआई के मासिक अंशदान के लिए प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। हालांकि, कोई अतिरिक्त राशि जैसे ठेकेदार का प्रीमियम/लाभ आदि का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। उक्त वृद्धि का भुगतान कर की लागू दर के अनुसार टीडीएस और उचित दर पर जीएसटी जैसे कटौतियों के बिना रनिंग/फाइनल बिलों के साथ किया जाएगा।

बैंक परिसरों और 03 आवासीय कॉलोनियों, आरबीआई कानपुर में सीधी लाइनों और इंटरकॉम लाइनों के रखरखाव कार्य में भाग लेने वाले कुल 02 टेलीफोन तकनीशियनों की आवश्यकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंक परिसर और 03 आवासीय कालोनियों में सीधी लाइन और इंटरकॉम लाइन के लिए एएमसी

ठेकेदार तैनात श्रमिकों की अनुपस्थिति/छुट्टी/छुट्टी आदि के मामले में समान रूप से सक्षम राहत प्रदान करने की व्यवस्था बिना किसी लागत के करेगा।

मजदूरी के अंतर की प्रतिपूर्ति के लिए संदर्भ मजदूरी मौजूदा न्यूनतम मजदूरी होगी जैसा कि नीचे दिया गया है:

न्यूनतम मजदूरी की वर्तमान दरें (प्रति दिन) **01/04/2025 से प्रभावी**

अकुशल श्रेणी के कर्मचारी : 805 रुपये प्रति दिन.

'पीएफ और ईएसआई के नियोक्ता योगदान, मासिक वेतन' के लिए भुगतान एजेंसी/ठेकेदार को मासिक आधार पर केवल दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त होने पर किया जाएगा, यानी विस्तृत विवरण के साथ चालान, बैंक अनुबंध के उद्देश्य के लिए तैनात किए गए प्रत्येक व्यक्ति का पासबुक/खाता विवरण। इसका नियोक्ता योगदान नीचे बताए गए तरीके से जमा करना होगा:

a) पीएफ योगदान (12%), व्यवस्थापक शुल्क आदि। कुल जनशक्ति के लिए **प्रत्येक कामगार के लिए वास्तविक मजदूरी भुगतान पर** लागू हो।

b) कुल जनशक्ति के लिए E.S.I.C. **प्रत्येक श्रमिक के लिए वास्तविक मजदूरी भुगतान पर 3.25%** की दर से।

c) ठेकेदार को 4 दिनों की सवैतनिक छुट्टियों (26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर), मजदूर दिवस (1 मई) का भुगतान करना होगा**.**

d) वेतन/ईपीएफ गणना अनुलग्नक II में दिखाई गई है।

8. ठेकेदार को अपनी लागत पर निम्नलिखित प्रदान करना होगा

ठेकेदार इस काम के लिए तैनात व्यक्तियों को अपने खर्च पर दो जोड़ी वर्दी, जूते प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि काम के लिए तैनात कर्मचारी जब भी ड्यूटी पर हों, वर्दी पहनें। इसके अलावा, ठेकेदार के किसी भी अन्य दायित्व के लिए कार्य के दायरे (इस निविदा की धारा V) देखें। भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर का इस खाते पर कोई दायित्व नहीं होगा।

9. जुर्माना: ठेकेदार को इस निविदा के विनिर्देशों/शर्तों का पालन करना चाहिए, ईपीएफ/ईएसआई के वैधानिक दायित्व, जिसमें विफल रहने पर, वह प्रत्येक उदाहरण के लिए मासिक बिल राशि के 10% की अधिकतम सीमा के लिए नीचे निर्दिष्ट दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

9.1 **श्रेणी -1**: - अगले महीने के 05 वें कार्य दिवस को या उससे पहले मासिक मजदूरी का भुगतान न करने पर देरी के लिए प्रति दिन 500 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा।

9.2 श्रेणी-2: - ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति शिफ्ट **1000/- रुपये** की वसूली की जाएगी।

9.3 श्रेणी-3: - ठेकेदार को धारा III की उपधारा 7 के अनुसार नियमित रूप से अपने कर्मचारियों/कर्मियों के लिए लागू ईपीएफ और ईएसआई जमा करना होगा: अनुबंध की विशेष शर्त (और अनुलग्नक II: वेतन और ईपीएफ विवरण), जिसमें विफल रहने पर पीएफ और ईएसआई के खिलाफ क्रमशः @ 24% और 3.5% वेतन भुगतान की वसूली/रोक दी जाएगी।

9.4 श्रेणी-4: - ठेकेदार अगले महीने के 05 वें कार्य दिवस को या उससे पहले बिल प्रस्तुत करेगा, जिसमें विफल रहने पर देरी के लिए प्रति दिन 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। ठेकेदार जोखिम और लागत के लिए भी उत्तरदायी होगा।

9.5 श्रेणी-5: - ठेकेदार के निष्पादन/कार्य, अनुरक्षण कार्य की गुणवत्ता, समझौते के अनुसार कर्मचारियों की उपस्थिति और निविदा दस्तावेज में उल्लिखित अन्य

पहलुओं की एक औचक समीक्षा/निरीक्षण (मासिक या अधिक बार-बार, जैसा कि बैंक द्वारा तय किया गया है) बैंक द्वारा आयोजित किया जाएगा (यह बैंक के कर्मचारियों/कार्यवाहकों से प्राप्त फीडबैक पर भी आधारित होगा)। ठेकेदार को मासिक भुगतान केवल तभी जारी किया जाएगा जब समीक्षा/निरीक्षण में प्रदर्शन संतोषजनक पाया जाएगा। यदि प्रदान किया गया रखरखाव कार्य असंतोषजनक पाया जाता है या यदि सेवा/प्रदर्शन में कोई अन्य कमी पाई जाती है तो बैंक प्रति उदाहरण ₹1000/- (केवल एक हजार रुपये) का जुर्माना लगा सकता है, तो जुर्माने की राशि या तो मासिक बिल भुगतान से या सुरक्षा जमा से वसूल की जा सकती है। सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने में बैंक के संबंधित अधिकारी का निर्णय अंतिम होता है और सेवा प्रदाता द्वारा इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है।

नोट: - किसी भी मामले में किसी भी या सभी श्रेणियों के कारण किसी भी समय कुल जुर्माना कुल अनुबंध मूल्य के 10% से अधिक नहीं होगा। एक बार जब कुल जुर्माना इस सीमा तक पहुंच जाता है, तो अनुबंध समझौते के प्रावधानों के अनुसार अनुबंध की समीक्षा/रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा और इस संबंध में क्षेत्रीय निदेशक, कानपुर का निर्णय अंतिम और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

10. <u>अनुपालन</u>

ठेकेदार उसके तहत निर्धारित प्रपत्रों में मौजूदा विधियों, नियमों, आदेशों आदि के अनुपालन के दस्तावेजी साक्ष्य को बनाए रखेगा। बैंक को इस तरह के अनुपालन को संतुष्ट करने के लिए ऐसे दस्तावेजों को बुलाने और जांच/निरीक्षण/सत्यापन करने का अधिकार होगा। ठेकेदार ऐसे दस्तावेज़ बैंक को उचित समय के अंदर देगा, जो ठेकेदार को लिखित में ऐसी ज़रूरत बताए जाने के बाद पाँच कार्य दिवसों से ज़्यादा नहीं हो, या अदालत, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण प्राधिकरण वगैरह द्वारा तय की गई कोई दूसरी अवधि, जो भी कम। यदि ठेकेदार सभी प्रकार से पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो बैंक को दस्तावेजों को जमा करने के लिए अनुमत समय की समाप्ति के बाद प्रति दिन 1,000/- रुपये (एक हजार रुपये केवल) का परिसमापन हर्जाना लगाने का अधिकार होगा। ठेकेदार द्वारा रखरखाव न करने या ऐसे दस्तावेज जमा न करने के कारण बैंक को होने वाला कोई भी आर्थिक नुकसान, परिसमापन क्षति, भुगतान आदि, जिससे बैंक ऐसे दस्तावेज किसी न्यायलय या कानूनी या प्रशासनिक प्राधिकरण या नगरपालिका निकाय के सामने पेश नहीं कर पाता है, अगर बाद में ऐसा करने की ज़रूरत पड़ती है, तो बैंक उसे सुरक्षा जमा या ठेकेदार को देय या मिलने वाली दूसरी रकम से वसूल करेगा। यदि बैंक पूरी तरह से राशि वसूल करने में असमर्थ है, तो शेष राशि ठेकेदार द्वारा बैंक को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी। ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति करेगा, यदि सांविधिक बकाया या अनुपालन के संबंध में बैंक के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की जाती है, जिसके लिए वह जिम्मेदार है। यदि ठेकेदार इस तरह के गैर-अनुपालन की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उचित समय के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहता है तो बैंक को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।

स्थान: (स्टाम्प के साथ बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर)

तारीख: (नाम)

खंड IV: बोलीदाताओं का विवरण

4.1 फर्म का विवरण

क्रमांक	विवरण	बोलीदाता द्वारा भरा जाना है
1.	संरचना (क्या साझेदारी स्वामित्व / कंपनी)	
2.	कंपनी के मालिक/भागीदारों/निदेशकों के नाम	
3.	सहायक दस्तावेजों के साथ जीएसटी पंजीकरण यदि कोई हो	
4.	उत्तर प्रदेश राज्य में उपरोक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए फर्म द्वारा विचार की गई समग्र जीएसटी दर	
5.	फर्म का पता	
	टेलीफोन/मोबाइल	
	ईमेल	
	फैक्स	

4.2 बोलीदाता के बैंक का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	विवरण (क्रॉस कैंसल चेक जमा करें)	बोलीदाता द्वारा भरा जाना है
1	बैंक का नाम	
2	शाखा का पता	
3	टेलीफोन और फैक्स नंबर	
4	संपर्क व्यक्ति का नाम	
5	बैंक से फर्म द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा	
6	वह अवधि जिससे फर्म बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है	

खंड V: कार्य का दायरा

1. टेलीफोन प्रतिष्ठापन बैंक के परिसर, सिविल लाइंस अधिकारी आवास (सीएलओक्यू), तिलक नगर अधिकारी आवास (टीएनओक्यू) और किदवई नगर स्टाफ आवास (केएनएसक्यू) में स्थित हैं और इसमें कनेक्टेड लाइनों, सीधी लाइनों, हॉट लाइन कनेक्शन आदि के साथ इंटरकॉम टेलीफोन सेट शामिल हैं। **ठेकेदार द्वारा दो टेलीफोन तकनीशियनों की प्रतिनियुक्ति करना है ।**
2. तकनीशियन को कॉलोनियों में सोमवार से शुक्रवार और शनिवार को नियमित आधार पर या संपदा विभाग के अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार सुबह 9:15 बजे एमओबी में रिपोर्ट करना होगा और मरम्मत/सुधार/निवारक रखरखाव कार्यों में भाग लेना होगा और संबंधित इंजीनियर/एएमसी सेल अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा। यदि टेलीफोन के काम न करने या खराब होने के संबंध में किसी आवासीय क्वार्टर से कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसे बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर उसे सुधारने/बहाल करने की व्यवस्था करनी होगी। यदि आवश्यक हो, तो फर्म को रविवार/छुट्टी/कार्यालय समय के बाद भी काम में भाग लेना होगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। काम के घंटे एक सप्ताह में 6 कार्य दिवसों में प्रत्येक 8 कार्य घंटे होंगे, काम के घंटे पारस्परिक रूप से सहमत होंगे। आपातकालीन कार्यों के मामले में, श्रमिकों को आपातकाल समाप्त होने तक काम करना जारी रखना होगा।
3. सभी प्रतिष्ठापन की नियमित रूप से जाँच की जाएगी, और जब भी आवश्यक हो निवारक रखरखाव प्रदान किया जाएगा।

निवारक रखरखाव में निम्न शामिल हैं:

- क्षेत्रीय निदेशक केबिन, कार्यपालक क्षेत्र केबिन और वरिष्ठ अधिकारियों के केबिन आदि में जुड़ी टेलीफोन लाइनों की दैनिक जांच/सुधार।
- सभी टेलीफोन लाइनों, एमडीएफ, ढीले संपर्क आदि की साप्ताहिक जांच/सुधार।
- डायरेक्ट लाइन और इंटरकॉम लिस्ट को विभागवार / सेक्शन वार/कॉलोनी वार तैयार/अपडेट करें।

कार्य में निम्न शामिल हैं:

- आवश्यक स्पेयर पार्ट्स का उपयोग करके टेलीफोन कनेक्शनों में दोषों की मामूली मरम्मत/सुधार।
- टेलीफोन, वायरिंग, एमडीएफ, टैग ब्लॉक आदि में दिन-प्रतिदिन की शिकायत को टैग करने के लिए इसे ऑपरेशन में ब्लॉक करना।
- टेलीफोन एक्सचेंज रूम को साफ-सुथरा रखना।
- ईपीएबीएक्स कक्ष में टेलीफोन तारों के इंटरकनेक्शन की उचित ड्रेसिंग।
- शिकायत रजिस्टरों का उचित रखरखाव
- बीएसएनएल एक्सचेंज के कारण कनेक्शन में समस्या होने की स्थिति में, ठेकेदार संबंधित बैंक के अधिकारियों के परामर्श से कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए बीएसएनएल/दूरसंचार प्राधिकरणों के साथ मामला उठाएगा।
- ठेकेदार के पास टेलीफोन लाइनों के परीक्षण के लिए हैंडसेट सहित सभी उपकरण, क्रोन टूल इंस्ट्रूमेंट्स आदि होने चाहिए।

कनेक्शन का विवरण:

स्थान	क्रम संख्या	कनेक्शन विवरण	उपकरणों की संख्या
बैंक परिसर	**1**	**इंटरकॉम**	**250**
	2	**सीधी** लाइन	**90**
	3	**हॉट लाइन्स/फायर लाइन**	**02**
सीएलओक्यू	**1**	**इंटरकॉम**	**80**
	2	**सीधी** लाइन	**03**
टीएनओक्यू	**1**	**इंटरकॉम**	**80**
	2	**सीधी** लाइन	**02**
केएनएसक्यू	**1**	**इंटरकॉम**	160
	2	**सीधी** लाइन	**02**

नोट: ऊपर उल्लिखित मात्रा सांकेतिक है और वार्षिक रखरखाव अनुबंध की अवधि के दौरान भिन्न हो सकती है। अतिरिक्त कनेक्शन के मामले में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा।

4. बैंक के मुख्य कार्यालय और कॉलोनी में शिकायतें, जो टेलीफोन, मोबाइल, पत्र, फैक्स, ईमेल या अन्य मोड के माध्यम से निवासी द्वारा केयरटेकर द्वारा रखी गई शिकायत पुस्तिका में पंजीकृत या सहायक कार्यवाहक, एएमसी सेल, जेई, इंजीनियर द्वारा नियमित रूप से दैनिक दिनचर्या के आधार पर जांच की जाएगी और सभी शिकायतों पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा। संतोषजनक समापन के बाद हस्ताक्षर संबंधित निवासी या उनके प्रतिनिधि से प्राप्त किए जाएंगे।

5. महत्वपूर्ण बैठकों, आरबीआई में कार्यों के दिनों और जब भी संपदा विभाग द्वारा सूचित किया जाता है, ठेकेदार की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

6. कार्यालय और कॉलोनियों में प्रत्यक्ष नंबरों और इंटरकॉम नंबरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना या नया कनेक्शन प्रदान करना, जो टेलीफोन एक्सचेंज मशीन के आउटपुट डिस्कनेक्शन मॉड्यूल (क्रोन) में उपलब्ध है, जब भी आवश्यक हो, ठेकेदार के काम के दायरे में है। यदि कार्य के लिए किसी भी सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो सामग्री की लागत का भुगतान बैंक द्वारा प्रचलित बाजार दरों के अनुसार किया जाएगा या सामग्री की आपूर्ति बैंक द्वारा की जाएगी या सामग्री की आपूर्ति बैंक द्वारा की जाएगी।

7. साप्ताहिक सत्यापन, हस्ताक्षर और रजिस्टरों को जमा करना। **ठेकेदार द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों का रखरखाव किया जाएगा।**

- शिकायतें/दैनिक कार्य रजिस्टर।
- उपस्थिति रजिस्टर
- एस्टेट प्रभारी द्वारा निर्देशित कोई अन्य लॉगबुक।

उपरोक्त रजिस्टरों को उनके सत्यापन के लिए संपदा विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा।

8. दिन-प्रतिदिन के रखरखाव और आपात स्थिति के लिए कर्मचारियों को सभी आवश्यक उपकरण जैसे क्रिम्पिंग टूल, पंचिंग टूल, टेलीफोन लाइन टेस्टर आदि प्रदान करना।

9. अपने कर्मचारियों को सभी सुरक्षा उपकरण, सामग्री प्रदान करना। अपने सभी कर्मचारियों को वर्दी, सुरक्षा जूते, इंसुलेटेड दस्ताने, रेनकोट, टोपी, छाता, टॉर्च, मोबाइल फोन आदि प्रदान करना।

10. अपने कर्मचारियों को गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी पर आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करें।

11. यदि कोई कर्मचारी 24 घंटे से अधिक समय तक छुट्टी पर है/अनुपस्थित है, तो ठेकेदार को 48 घंटे के भीतर समान रूप से योग्य और अनुभवी व्यक्ति के साथ प्रतिस्थापन प्रदान करना चाहिए।

12. ठेकेदार और उसके कर्मचारी मानक औद्योगिक सुरक्षा और सुरक्षा मानदंडों का सख्ती से पालन करेंगे।

13. साइट पर पर्यवेक्षक/ठेकेदार द्वारा पूर्णकालिक दैनिक पर्यवेक्षण अनिवार्य है।

14. प्रत्येक मामले में सेवा/रखरखाव रिपोर्ट रखी जानी चाहिए और मासिक बिल जमा करते समय पर्यवेक्षक और उपयोगकर्ता/शिकायतकर्ता द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित प्रस्तुत की जानी चाहिए। रिपोर्ट में निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए:

- कॉल का समय
- रिपोर्ट का समय
- कार्रवाई की गई
- बहाली का समय
- घटकों को बदल दिया गया, यदि कोई हो।

15. सफल बोली लगाने वाले को अनुबंध प्रदान करने या अनुबंध के प्रारंभ होने से 15 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, आरबीआई को सूचित करने के तहत, प्रभावी रखरखाव के लिए आवश्यक सभी (आई) उपकरण और उपकरण जैसे लाइन टेस्टर, पंचिंग टूल्स/उपकरण और सुरक्षा आइटम आदि प्रदान करने चाहिए, एएमसी ठेकेदार द्वारा स्वयं अपनी लागत पर व्यवस्थित किया जाना चाहिए।

16. निर्माताओं की सिफारिश के अनुसार और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर/एस्टेट इंचार्ज के निर्देशानुसार सिस्टम की समय-समय पर सफाई, परीक्षण और नियमित रखरखाव किया जाना है।

17. सेवा प्रदाताओं/कार्यबल की सुरक्षा के लिए ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी और स्थापना/उपकरण की स्वच्छता बनाए रखना, विशेष रूप से जो उसके एकमात्र कब्जे/आवश्यकतानुसार उपयोग में हैं। उनके सभी सेवा प्रदाताओं को भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा।

18. ठेकेदार स्थानीय संपर्क टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और संपर्क पता प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार रिकॉर्ड बनाए रखने और भारतीय विद्युत नियमों और आईएस विनिर्देशों के अनुसार सभी इंस्टॉलेशन के अनिवार्य परीक्षणों यानी इन्सुलेशन और पृथ्वी परीक्षण के बारे में डेटा प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा।

20. ठेकेदार उन प्रतिष्ठानों और क्षेत्र को साफ रखने के लिए जिम्मेदार होगा जहां स्थापना स्थापित की गई है। ठेकेदार साइट पर रिकॉर्ड प्रदान करने और बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है जैसे ड्यूटी कर्मचारियों की उपस्थिति, उपकरण के लिए लॉग बुक आदि।

21. यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह आवश्यकतानुसार अच्छी कार्यशील स्थिति में संचालन रखरखाव सेवाओं के पूरा होने के बाद सेवा के दायरे में आने वाली स्थापना को बनाए रखे और वापस सौंपे।

22. ठेकेदार उपकरण, उसे सौंपी गई सामग्री के लिए जिम्मेदार होगा, और किसी भी गलत संचालन या लापता होने के मामले में उसे अपने जोखिम और लागत पर बदला या मरम्मत की जाएगी।

23. विभिन्न स्थानों पर संस्थापित टेलीफोन लाइनों की मरम्मत के समय आवश्यक कलपुर्जों की लागत को एएमसी प्रभारों से बाहर रखा जाएगा।

24. सभी विघटित/अप्रयुक्त सामग्री भारतीय रिजर्व बैंक की संपत्ति रहेगी और ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह आवश्यकतानुसार समय-समय पर इसे संपदा/अधिनियम को वापस करे

25. मौजूदा स्थापना, उपकरण या भवन को विशेष रूप से लापरवाही के कारण हुई कोई भी क्षति भारतीय रिजर्व बैंक को किसी भी लागत के बिना उसकी मरम्मत, सुधार या प्रतिस्थापन करने की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार सेवा प्रदाताओं/कार्य बल के लिए परिवहन और अन्य रसद की व्यवस्था स्वयं करेगा।

26. ठेकेदार या उसका वास्तविक प्रतिनिधि महीने में कम से कम एक बार साइट का दौरा करेगा और निर्देश लेने, संचालन की निगरानी करने और शिकायत रजिस्टर/साइट ऑर्डर बुक की समीक्षा करने के लिए एस्टेट विभाग से मिलेगा, जिससे साइट की आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके, जिसमें विफल रहने पर प्रभारी आवश्यकतानुसार अपने विवेक पर समझौते के प्रासंगिक नियमों और शर्तों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

27. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास संविदा में वर्गीकृत जनशक्ति की संख्या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है और वह ठेकेदार से अनुबंध की दर के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त जनशक्ति की आपूत करने के लिए कह सकता है।

28. सीधी लाइनों, हॉट लाइनों, नए कनेक्शन, बैंक की पीआरआई लाइनों आदि के लिए स्थानीय बीएसएनएल प्राधिकरण और किसी अन्य टेली सेवा प्रदाता के साथ संपर्क करना और पूरे टेलीफोन/ईपीएबीएक्स सिस्टम को स्वस्थ परिचालन स्थितियों में बनाने के लिए अन्य आवश्यक निर्देश दिए गए।

29. लॉज शिकायत करता है और प्रणाली के सुधार/बहाली और ईपीएबीएक्स प्रणाली के अनुसूचित निवारक रखरखाव के लिए ईपीबीएएक्स विक्रेता के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

30. लाइनों की मरम्मत और दोषपूर्ण तार/केबल के प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक कलपुर्जों को कार्य के दायरे में शामिल नहीं किया गया है और बाजार दर के साथ अलग से भुगतान किया जाएगा। सूची केवल सांकेतिक है। सेवाओं में आवासों के लिए संतोषजनक सेवा के लिए आवश्यक कोई अन्य वस्तु भी शामिल है।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हमने निविदा के मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त निर्देशों/कार्य के दायरे को पढ़ और समझ लिया है। मैं/हम उपरोक्त नियमों और शर्तों/निर्देशों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं।

स्थान: (स्टाम्प के साथ बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर)

दिनांक: (नाम)

खंड VI: ई-खरीद के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

बोली लगाने वालों से अनुरोध है कि वे अपना ऑनलाइन टेंडर जमा करने से पहले इस टेंडर के नियमों और शर्तों को पढ़ लें।

1.	**ई-टेंडर की प्रक्रिया:** ए) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो नि: शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तकनीकी बोली के साथ-साथ वाणिज्यिक बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। विक्रेता के पास कक्षा III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)। विशेष नोट: तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली http://mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी है 1). विक्रेताओं को www.mstcecommerce.com→ ई-प्रोक्योरमेंट →पीएसयू/सरकारी विभागों→ आरबीआई लोगो का चयन करें>विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरना और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना→ सबमिट करना आवश्यक है। 2). विक्रेताओं को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करेगा जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया आरबीआई/एमएसटीसी से संपर्क करें, (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)। **संपर्क व्यक्ति (आरबीआई कानपुर):** श्री रजनीश कुमार, सहायक प्रबंधक: 9560840907 (krajneesh@rbi.org.in) श्री अविरल शुक्ला (जेई/इलेक्ट्रिकल): 9643084204 (aviralshukla@rbi.org.in) **संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड):** 1. श्री रोहित कु. सिंह, सहायक प्रबंधक, 0522-4244702 2. श्री नितिन आनंद, प्रबंधक, 0522-4240445 **बी) सिस्टम आवश्यकता:** i) विंडोज 7 या उससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम ii) IE-7 और उससे ऊपर का इंटरनेट ब्राउज़र। iii) हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर iv) नवीनतम अद्यतन जेआरई 8 (x86 ऑफलाइन) सॉफ्टवेयर को सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना है।

	DSC के लिए "सुरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में प्रकट होने के लिए निम्न सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं। उपकरण = > इंटरनेट विकल्प = >सुरक्षा = > अक्षम करें संरक्षित मोड यदि सक्षम है- यानी, "सुरक्षित मोड सक्षम करें" का उल्लेख करने वाले टिक बॉक्स से टिक निकालें। अन्य सेटिंग्स: उपकरण = > इंटरनेट विकल्प => सामान्य => "ब्राउज़िंग इतिहास/ब्राउज़िंग इतिहास हटाएं" => अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें => के तहत सेटिंग्स पर क्लिक करें "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूं" सक्रिय करें। सभी सक्रिय एक्स नियंत्रणों को सक्षम करने के लिए और टूल्स→ इंटरनेट विकल्प→ कस्टम स्तर के तहत 'पॉप अप अवरोधक का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए (कृपया पृष्ठ से आईई सेटिंग्स www.mstcecommerce.com एक बार चलाएं)
2.	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली http://mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन जमा करनी होगी। निविदाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्दिष्ट तिथि और समय पर खोली जाएंगी जैसा कि निविदा में दिया गया है।
3.	निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।
4.	लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट: विक्रेताओं को विक्रेता लॉगिन में "मेरा मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। विक्रेताओं को ईवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। विक्रेता में बदलाव किए बिना चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा और विक्रेता को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। एक विक्रेता के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच नहीं होगी। नोट: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे कार्यक्रम के समापन समय से पहले ही लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें ताकि बोली जमा करने के लिए खुद को पर्याप्त समय मिल सके।
5.	अपलोड की गई ई-निविदाओं/शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी निविदा को अंतिम रूप देने तक प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एमएसटीसी के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।
6.	एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है।

7.	ई-टेंडर में बोली: a) विक्रेता (ओं) को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक ईएमडी, निविदा शुल्क और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करने की आवश्यकता है। निविदा शुल्क और लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य हैं। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता (विक्रेताओं) के ईएमडी को निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण द्वारा वापस कर दिया जाएगा। b) इस प्रक्रिया में तकनीकी और वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है। c) जिन विक्रेताओं ने लेनदेन शुल्क जमा किया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com→ ई-प्रोक्योरमेंट →पीएसयू/सरकारी विभाग→ आरबीआई→माई मेनू→ नीलामी फ्लोर मैनेजर→ लाइव इवेंट →लाइव इवेंट लाइव इवेंट के तहत लॉगिन करें, इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली जमा कर सकते हैं। d) विक्रेता जावा अनुप्रयोग चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह कवायद बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद की जानी चाहिए। फिर उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरना होगा और उसे सहेजना होगा। उसके बाद टेक्निकल बिड पर क्लिक करें। यदि यह एप्लिकेशन नहीं चलाया जाता है तो विक्रेता अपनी तकनीकी बोली को सहेजने/जमा करने में सक्षम नहीं होगा।
	e) तकनीकी बोली भरने के बाद, विक्रेता को अपनी तकनीकी बोली दर्ज करने के लिए 'सहेजें' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, वाणिज्यिक बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना पड़ता है और फिर विक्रेता को अपनी वाणिज्यिक बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली दोनों को सहेज लेने के बाद, विक्रेता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है। f) विक्रेताओं को दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए दस्तावेज़ संलग्न करें बटन का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। g) सभी मामलों में, विक्रेता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। h) पूरी ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक-दूसरे के लिए और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे। i) ई-टेंडर का काम पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा। j) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां विक्रेता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और क्रेता द्वारा इसकी स्वीकृति के निष्पादन के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बनेगी। k) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ जमा की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। l) क्रेता के पास निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी मामला हो, बिना कोई कारण बताए के। m) निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-टेंडर में बोली जमा करने से निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि होती है।

8.	इस निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।
9.	तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में किसी भी तरह के विचलन की अनुमति नहीं है
10.	निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली (निविदाओं) की प्राप्ति की नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार है
11.	विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे विक्रेता गाइड को पढ़ें और बोली लगाने से पहले उन्हें सिस्टम से परिचित कराने के www.mstcecommerce.com/eprochome पृष्ठ में वीडियो देखें। तकनीकी सहायता के लिए, एमएसटीसी के अधिकारियों से 05224244702/05224240445 पर पहले से ही संपर्क किया जा सकता है और बोलीदाताओं को अंतिम समय की भीड़ से बचने की सलाह दी जाती है। एमएसटीसी से आवश्यक किसी भी तकनीकी सहायता के मामले में, बोलीदाताओं को ई-निविदा बंद होने के दिन से कम से कम एक दिन पहले एमएसटीसी से संपर्क करना चाहिए और अपने सभी प्रश्नों का समाधान करना चाहिए।

अनुबंध I: महत्वपूर्ण जानकारी

(क)	कार्य का अनुमानित लागत	रु. 8.00 लाख प्रति वर्ष। (जीएसटी @18% सहित)
(ख)	एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी (एमएसटीसी पोर्टल पर विवरण अपलोड करें)।	कार्य आदेश देने के 14 दिनों के भीतर केवल सफल बोली लगाने वाले द्वारा भुगतान किया जाना है।
(ग)	सुरक्षा जमा	अनुबंध प्रदान करने पर, सफल बोली लगाने वाले के ईएमडी को अनुबंध की अवधि तक प्रतिभूति जमा के रूप में रखा जाएगा।
(घ)	ई-टेंडर दस्तावेज यहां से डाउनलोड किए जा सकते हैं	www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi
(ङ)	भाग- II के खुलने की तिथि और समय (वित्तीय बोलियां)	इसकी जांच के बाद बाद सभी बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा टेक्नो - वाणिज्यिक बोलियां
(च)	प्रारंभ तिथि	जैसा कि कार्य आदेश/निविदा/एनआईटी में निर्दिष्ट है।
(छ)	भुगतान की शर्त	खंड III की उपधारा 7 देखें: अनुबंध की विशेष शर्त
(ज)	निविदा की वैधता	टेक्नो - वाणिज्यिक बोली खोलने की तारीख से 90 दिन –
(i)	उत्पन्न होने वाले सभी विवाद क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे	कानपुर
(जे)	इस ई-टेंडर के संबंध में संचार के लिए व्यक्ति से संपर्क करें।	1) श्री रजनीश कुमार, सहायक प्रबंधक: 9560840907 (krajneesh@rbi.org.in) 2) श्री अविरल शुक्ल (जेई/इलेक्ट्रिकल) 9643084204 (aviralshukla@rbi.org.in)

स्थान: निविदाकार के हस्ताक्षर

दिनांक: पता:

अनुबंध II: मजदूरी और ईपीएफ विवरण

मजदूरी विवरण (A)

क्रम संख्या	न्यूनतम मजदूरी की श्रेणी	दिनों की संख्या	मजदूरी रुपये में।	सकल रुपये में।	ईएसआई @ 0.75% रुपये में	EPF@12% रुपये में	शुद्ध मजदूरी (रुपये में)	टिप्पणियां
1	2	3	4	5=3X4	6=5X0.75%	7=5X12%	8=5-6-7	9
1	अकुशल	26	805	20930	157*	2512*	18261	प्रति महीने

(*EPF/ESI में अगले उच्चतम पूर्णांक को पूर्णांकित करना)

ईपीएफ स्टेटमेंट (बी)

क्रम संख्या	श्रेणी	दिनों की संख्या	मजदूरी रुपये में।	सकल रुपये में।	योगदान				कर्मचारी के खाते में कुल ईपीएफ	टिप्पणियां
					कर्मचारी का EPF@12%	नियोक्ता का योगदान	निकासी की वापसी डी.एल.आई @ 1%	व्यवस्थापक Charges @5%		
1	2	3	4	5=3X4	6=5X12%	7=5X12%	8 = 5 * 1%	9= (6+7) *5%	10= (6+7)	11
1	अकुशल	26	805	20930	2512*	2512*	210*	252*	5024	प्रति व्यक्ति

(*अगले उच्चतम पूर्णांक तक पूर्णांक)

नोट: -

** व्यक्तिगत कर्मचारी की कुल पेंशन दर्शाए गए प्रमाण राशि होगी।

***व्यक्तिगत कर्मचारी में कुल ईपीएफ राशि का प्रमाण होगा जैसा कि दिखाया गया है।

**** ठेकेदार ऊपर गणना के अनुसार नियोक्ता योगदान के हिस्से को जमा करने के लिए बाध्य नहीं होगा, लेकिन **उसे उस राशि पर ईपीएफ योगदान जमा करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए जो ईपीएफ** विभाग (भारत सरकार) द्वारा अनिवार्य/अनुमोदित (अप-टू-डेट संशोधन के साथ) है और केवल संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा / प्रतिपूर्ति की जाएगी (यानी, व्यक्तिगत कर्मचारियों की ईसीआर प्रति)।

अनुबंध III: करार की शर्तें

करार की शर्तें

करार की शर्तें वर्ष 2026.....माह .... के..... दिन भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर, जिसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है (इसके बाद "बैंक" कहा जाता है) एक पार्टी

तथा

मैसर्स _____, जिसका कार्यालय _____ में स्थित है, दूसरी पार्टी (इसके बाद **ठेकेदार**" के रूप में संदर्भित) के बीच किया गया है जिसकी अभिव्यक्ति तब तक होगी जब तक कि वह उसके उत्तराधिकारियों, प्रतिनिधियों, प्रशासकों और अन्य भाग के असाइन करने वाले संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो।

जबकि ठेकेदार हाउसकीपिंग सेवाएं प्रदान करने का कारोबार कर रहा है और ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए ऐसी सेवाओं में पर्याप्त अनुभव रखता है।

और जबकि बैंक इस प्रयोजन के लिए ठेकेदार की सेवाओं का लाभ उठाने का इच्छुक है जैसा कि **पत्र संख्या _____ में दर्शाया गया है**

और जबकि पार्टियां उन नियमों और शर्तों को रिकॉर्ड करने के इच्छुक हैं जिनके तहत या उन पर ठेकेदार द्वारा उक्त सेवाएं प्रदान की जानी हैं।

जबकि नियोक्ता निविदा में उल्लिखित विनिर्देश और शर्तों के अनुसार बैंक परिसरों और 03 आवासीय कॉलोनियों, आरबीआई कानपुर में सीधी लाइनों और इंटरकॉम लाइनों की एएमसी **प्रदान करने का इच्छुक है।**

और जबकि ठेकेदार ने यहां निर्धारित शर्तों के लिए और विशेष शर्तों में निर्धारित शर्तों और अनुबंध की मात्रा और शर्तों की अनुसूची में निर्धारित शर्तों के लिए विषय कार्य को निष्पादित करने के लिए सहमति व्यक्त की है, जैसा कि संशोधित और अंत में दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाता है (जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तें" के रूप में संदर्भित किया जाता है) उक्त विनिर्देशों में वर्णित कार्य और मात्रा की अनुसूची में शामिल उसमें निर्धारित संबंधित दरें, जो हमारी ऐसी अन्य राशि पर आती हैं जो वहां देय हो जाएंगी (इसके बाद "उक्त निविदा राशि" के रूप में संदर्भित।

अब यह इसके द्वारा और पार्टियों के बीच इस प्रकार सहमत है:

यह करार 01 अप्रैल, 2026 **से लागू होगा और** 31 मार्च, 2027 **तक या** जब तक इसे निहित शर्तों के अनुसार समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक लागू रहेगा।

रखरखाव कार्य के लिए तैनात जनशक्ति की लागत को कवर करने **वाले _____/- रुपये (रुपये _____मात्र)** के उद्धृत शुल्क, चालान जमा करने के अधीन मासिक आधार पर देय होंगे। भुगतान तब किया जाएगा जब बैंक के अधिकारियों द्वारा इस आशय के विधिवत प्रमाणित किए जाएंगे कि सेवाएं संतोषजनक ढंग से प्रदान की गई हैं और सभी सांविधिक देयियों/करों आदि में कटौती भी की गई है ।

उपर्युक्त प्रभार एक समान हैं और श्रम उपलब्धता की शर्तों, विनिमय भिन्नता या किसी अन्य शर्त के अधीन नहीं हैं।
उपरोक्त शुल्कों में जीएसटी कर, बीमा शुल्क और कोई अन्य कर और शुल्क या अन्य लेवी भी शामिल है, चाहे वह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भविष्य में मौजूदा हो या लगाया गया हो।

ठेकेदार निविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार नियमित आधार पर सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा। ठेकेदार/पर्यवेक्षक को बैंक के परिसर का दौरा करना चाहिए और सप्ताह में कम से कम एक बार बैंक के अधिकारियों/इंजीनियरों से मिलना चाहिए ताकि ठेकेदार/कर्मचारियों के सामने आने वाली किसी भी समस्या का समाधान किया जा सके।

अब इस पर इस प्रकार सहमति व्यक्त की जाती है:

2. <u>कायर् का दायरा</u>

1. टेलीफोन प्रतिष्ठापन बैंक के परिसर, सिविल लाइंस अधिकारी क्वार्टर (सीएलओक्यू), तिलक नगर अधिकारी क्वार्टर (टीएनओक्यू) और किदवई नगर स्टाफ क्वार्टर (केएनएसक्यू) में स्थित हैं और इसमें कनेक्टेड लाइनों, सीधी लाइनों, हॉट लाइन कनेक्शन आदि के साथ इंटरकॉम टेलीफोन सेट शामिल हैं। **<u>ठेकेदार को दो टेलीफोन तक्नीशियनों की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए।</u>**
2. तकनीशियन को कॉलोनियों में सोमवार से शुक्रवार और शनिवार को नियमित आधार पर या संपदा विभाग के अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार सुबह 9:15 बजे एमओबी में रिपोर्ट करना चाहिए और मरम्मत/सुधार/निवारक रखरखाव कार्यों में भाग लेना चाहिए और संबंधित इंजीनियर/एएमसी सेल अधिकारी को रिपोर्ट करना चाहिए। यदि टेलीफोन के काम न करने या खराब होने के संबंध में किसी आवासीय क्वार्टर से कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसे बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर उसे सुधारने/बहाल करने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो फर्म को रविवार/छुट्टी/कार्यालय समय के बाद भी काम में भाग लेना चाहिए, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। काम के घंटे एक सप्ताह में 6 कार्य दिवसों में प्रत्येक 8 कार्य घंटे होंगे, काम के घंटे पारस्परिक रूप से सहमत होंगे। आपातकालीन कार्यों के मामले में, श्रमिकों को आपातकाल समाप्त होने तक काम करना जारी रखना होगा।
3. सभी स्थापना की नियमित रूप से जाँच की जाएगी, और जब भी आवश्यक हो निवारक रखरखाव प्रदान किया जाएगा।

निवारक रखरखाव में शामिल हैं:

- क्षेत्रीय निदेशक केबिन, कार्यकारी क्षेत्र केबिन और वरिष्ठ अधिकारियों के केबिन आदि में जुड़ी टेलीफोन लाइनों की दैनिक जांच/सुधार।
- सभी टेलीफोन लाइनों, एमडीएफ, ढीले संपर्क आदि की साप्ताहिक जांच/सुधार।
- डायरेक्ट लाइन और इंटरकॉम लिस्ट को विभागवार / सेक्शन वार/कॉलोनी वार तैयार/अपडेट करें।

काम में शामिल हैं:

- आवश्यक स्पेयर पार्ट्स का उपयोग करके टेलीफोन कनेक्शनों में दोषों की मामूली मरम्मत/सुधार।

- टेलीफोन, वायरिंग, एमडीएफ, टैग ब्लॉक आदि में दिन-प्रतिदिन की शिकायत को टैग करने के लिए इसे ऑपरेशन में ब्लॉक करना।
- टेलीफोन एक्सचेंज रूम को साफ-सुथरा रखना।
- ईपीएबीएक्स कक्ष में टेलीफोन तारों के इंटरकनेक्शन की उचित ड्रेसिंग।
- शिकायत रजिस्टरों का उचित रखरखाव
- बीएसएनएल एक्सचेंज के कारण कनेक्शन में समस्या होने की स्थिति में, ठेकेदार संबंधित बैंक के अधिकारियों के परामर्श से कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए बीएसएनएल/दूरसंचार प्राधिकरणों के साथ मामला उठाएगा।
- ठेकेदार के पास टेलीफोन लाइनों के परीक्षण के लिए हैंडसेट सहित सभी उपकरण, क्रोन टूल इंस्ट्रूमेंट्स आदि होने चाहिए।

कनेक्शन का विवरण:

स्थान	क्रम संख्या	कनेक्शन विवरण	उपकरणों की संख्या
बैंक परिसर	**1**	**इंटरकॉम**	**250**
	2	**सीधी लाइन**	**90**
क्लॉक क्लॉक	**3**	**हॉट लाइन्स/फायर लाइन**	**02**
	1	**इंटरकॉम**	**80**
टीएनओक्यू टीएनओक्यू	**2**	**सीधी लाइन**	**03**
	1	**इंटरकॉम**	**80**
केएनएसक्यू केएनएसक्यू	**2**	**सीधी लाइन**	**02**
	1	**इंटरकॉम**	**160**

नोट: ऊपर उल्लिखित मात्रा सांकेतिक है और वार्षिक रखरखाव अनुबंध की अवधि के दौरान भिन्न हो सकती है।

4. बैंक के मुख्य कार्यालय और कॉलोनी में शिकायतें, जो टेलीफोन, मोबाइल, पत्र, फैक्स, ईमेल या अन्य मोड के माध्यम से निवासी द्वारा केयरटेकर द्वारा रखी गई शिकायत पुस्तिका में पंजीकृत या सहायक कार्यवाहक, एएमसी सेल, जेई, इंजीनियर द्वारा नियमित रूप से दैनिक दिनचर्या के आधार पर जांच की जाएगी और सभी शिकायतों पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा। संतोषजनक समापन के बाद हस्ताक्षर संबंधित निवासी या उनके प्रतिनिधि से प्राप्त किए जाएंगे।

5. महत्वपूर्ण बैठकों, आरबीआई में कार्यों के दिनों और जब भी संपदा विभाग द्वारा सूचित किया जाता है, ठेकेदार की अनिवार्य उपस्थिति होगी।

6. कार्यालय और कॉलोनियों में प्रत्यक्ष नंबरों और इंटरकॉम नंबरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना या नया कनेक्शन प्रदान करना, जो टेलीफोन एक्सचेंज मशीन के आउटपुट डिस्कनेक्शन मॉड्यूल (क्रोन) में उपलब्ध है, जब भी आवश्यक हो, ठेकेदार के काम के दायरे में है। यदि कार्य के लिए किसी भी सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो सामग्री की लागत का भुगतान बैंक द्वारा प्रचलित बाजार दरों के अनुसार किया जाएगा या सामग्री की आपूर्ति बैंक द्वारा की जाएगी या सामग्री की आपूर्ति बैंक द्वारा की जाएगी।

7. साप्ताहिक सत्यापन, हस्ताक्षर और रजिस्टरों को जमा करना। **ठेकेदार द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों का रखरखाव किया जाएगा**

- शिकायतें/दैनिक कार्य रजिस्टर।
- उपस्थिति रजिस्टर
- संपदा प्रभारी द्वारा निर्देशित कोई अन्य लॉगबुक।

उपरोक्त रजिस्टरों को उनके सत्यापन के लिए संपदा विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा।

8. दिन-प्रतिदिन के रखरखाव और आपात स्थिति के लिए कर्मचारियों को सभी आवश्यक उपकरण जैसे क्रिम्पिंग टूल, पंचिंग टूल, टेलीफोन लाइन टेस्टर आदि प्रदान करना।

9. अपने कर्मचारियों को सभी सुरक्षा उपकरण, सामग्री प्रदान करना। अपने सभी कर्मचारियों को वर्दी, सुरक्षा जूते, इंसुलेटेड दस्ताने, रेनकोट, टोपी, छाता, टॉर्च, मोबाइल फोन आदि प्रदान करना।

10. अपने कर्मचारियों को गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी पर आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करें।

11. यदि कोई कर्मचारी 24 घंटे से अधिक समय तक छुट्टी पर है/अनुपस्थित है, तो ठेकेदार को 48 घंटे के भीतर समान रूप से योग्य और अनुभवी व्यक्ति के साथ प्रतिस्थापन प्रदान करना चाहिए।

12. ठेकेदार और उसके कर्मचारी मानक औद्योगिक सुरक्षा और सुरक्षा मानदंडों का सख्ती से पालन करेंगे।

13. साइट पर पर्यवेक्षक/ठेकेदार द्वारा पूर्णकालिक दैनिक पर्यवेक्षण अनिवार्य है।

14. प्रत्येक मामले में सेवा/रखरखाव रिपोर्ट रखी जानी चाहिए और मासिक बिल जमा करते समय पर्यवेक्षक और उपयोगकर्ता/शिकायतकर्ता द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित प्रस्तुत की जानी चाहिए। रिपोर्ट में निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए:
    - कॉल का समय
    - रिपोर्ट का समय
    - की गई कार्रवाई
    - पुनर्स्थापन का समय
    - प्रतिस्थापित घटक, यदि कोई हो।

15. सफल बोलीदाता को अनुबंध प्रदान करने या अनुबंध के प्रारंभ होने से 15 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, आरबीआई को सूचित करने के तहत, प्रभावी रखरखाव के लिए आवश्यक सभी (आई) उपकरण और उपकरण जैसे लाइन टेस्टर, पंचिंग टूल्स/उपकरण और सुरक्षा आइटम आदि प्रदान करने चाहिए, एएमसी ठेकेदार द्वारा स्वयं अपनी लागत पर व्यवस्थित किया जाना चाहिए।

16. विनिर्माताओं की सिफारिश के अनुसार और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर/संपदा विभाग के प्रभारी के निर्देशानुसार सिस्टम की समय-समय पर सफाई, परीक्षण और नियमित रखरखाव की जाए।

17. सेवा प्रदाताओं/कार्यबल की सुरक्षा ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी और इंस्टालेशन/ उपकरण की स्वच्छता बनाए रखना, विशेष रूप से जो उसके एकमात्र कब्जे/आवश्यकतानुसार उपयोग में हैं। उनके सभी सेवा प्रदाताओं को भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा।

18. ठेकेदार स्थानीय संपर्क टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और संपर्क पता प्रस्तुत करेगा।

19. ठेकेदार रिकॉर्ड बनाए रखने और भारतीय बिजली नियमों और आईएस विनिर्देशों के अनुसार सभी इंस्टॉलेशन के अनिवार्य परीक्षणों यानी इन्सुलेशन और पृथ्वी परीक्षणों के बारे में डेटा प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा।

20. ठेकेदार उन प्रतिष्ठानों और क्षेत्र को साफ रखने के लिए जिम्मेदार होगा जहां स्थापना स्थापित की गई है। ठेकेदार साइट पर रिकॉर्ड प्रदान करने और बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है, जैसे, ड्यूटी कर्मचारियों की उपस्थिति, उपकरण के लिए लॉग बुक आदि।

21. यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह आवश्यकतानुसार रखरखाव सेवाओं के पूरा होने के बाद अच्छी कार्यशील स्थिति में संचालन सेवा के दायरे में आने वाली स्थापना को बनाए रखे और वापस सौंपे।

22. ठेकेदार, किसी उपकरण या सौंपी गई सामग्री के लिए जिम्मेदार होगा तथा किसी प्रकार के गलत संचालन या लापता होने के मामले में उसे अपने जोखिम और लागत पर प्रतिस्थापित या ठीक करवाएगा।

23. विभिन्न स्थानों पर संस्थापित टेलीफोन लाइनों की मरम्मत के समय आवश्यक स्पेयर की लागत को एएमसी प्रभारों से बाहर रखा जाएगा।

24. सभी विघटित/अप्रयुक्त सामग्री भारतीय रिजर्व बैंक की संपत्ति रहेगी और ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह आवश्यकतानुसार समय-समय पर इसे संपदा/सहायक रखवाल को वापस करें।

25. मौजूदा स्थापना, उपकरण या भवन को, विशेष रूप से लापरवाही के कारण हुई किसी प्रकार की क्षति भारतीय रिजर्व बैंक को किसी भी लागत के बिना उसकी मरम्मत, सुधार या प्रतिस्थापन करने की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार सेवा प्रदाताओं/कार्य बल के लिए परिवहन और अन्य लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था स्वयं करेगा।

26. ठेकेदार या उसका वास्तविक प्रतिनिधि महीने में कम से कम एक बार कार्यस्थल का दौरा करेगा और निर्देश लेने, संचालन की निगरानी करने और शिकायत रजिस्टर/साइट ऑर्डर बुक की समीक्षा करने के लिए संपदा विभाग से मिलेगा, जिससे कार्यस्थल की आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके, जिसमें विफल रहने पर प्रभारी आवश्यकतानुसार अपने विवेक पर समझौते के प्रासंगिक नियमों और शर्तों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

27. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास संविदा में वर्गीकृत मैनपावर की संख्या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है और वह ठेकेदार से अनुबंध की दर के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त जनशक्ति की आपूर्ति करने का अनुदेश दे सकता है।

28. सीधी लाइन, हॉट लाइन, नए कनेक्शन, बैंक की पीआरआई लाइनों आदि के लिए स्थानीय बीएसएनएल प्राधिकरण और किसी अन्य टेली सेवा प्रदाता के साथ संपर्क करना और पूरे टेलीफोन/ईपीएबीएक्स सिस्टम को सुचारु परिचालन स्थितियों में बनाए रखने के लिए अन्य आवश्यक अनुदेश देना।

29. शिकायत दर्ज करना और प्रणाली के सुधार/ पुनर्स्थापन और ईपीएबीएक्स प्रणाली के अनुसूचित निवारक रखरखाव के लिए ईपीबीएएक्स विक्रेता के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना

30. लाइनों की मरम्मत और दोषपूर्ण तार/केबल के प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक स्पेयर को कार्य के दायरे में शामिल नहीं किया गया है और बाजार दर के साथ अलग से भुगतान किया जाएगा। सूची केवल सांकेतिक है। सेवाओं में आवासों के लिए संतोषजनक सेवा के लिए आवश्यक कोई अन्य वस्तु भी शामिल है।

3. <u>बीमा/ **Insurance**</u> **-** ठेकेदार अनुबंध की शुरुआत के समय से लेकर इसके अंत तक सभी प्रकार के जोखिमों को कवर करने के लिए अपनी लागत पर सभी बीमा लेगा, बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नाम पर, जिसमें बैंक का नाम पहले होगा और यह निम्नलिखित जोखिमों को कवर करेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंक परिसर और 03 आवासीय कालोनियों में सीधी लाइन और इंटरकॉम लाइन के लिए एएमसी

• कार्यस्थल पर ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए कामगार मुआवजा नीति।

• कुल 10 लाख के लिए थर्ड पार्टी देयता पॉलिसी और प्रति दुर्घटना 2.50 लाख की सीमा के साथ।

नोट: ये पॉलिसियां अनुबंध के पूरा होने तक और आरबीआई तथा फर्म के संयुक्त नाम पर वैध होंगी, जिसमें आरबीआई का नाम पहले होगा। यदि ठेकेदार इन पॉलिसियों को प्रदान नहीं करता है, तो बैंक उपर्युक्त बीमा पॉलिसियों को स्वयं लेने और ठेकेदार के बिल या किसी अन्य कार्रवाई से उसकी लागत वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

इस अनुबंध के तहत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान, बैंक के केयरटेकर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आवश्यक दस्तावेजों/उपस्थिति पत्रक को प्रस्तुत करने के उपरांत मासिक आधार पर केवल भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर में किए जाएंगे।

4. **<u>दंडराशि :</u>** ठेकेदार द्वारा इस निविदा के विनिर्देशों/शर्तों, ईपीएफ/ईएसआई के वैधानिक दायित्व का अनुपालन किया जाए, जिसमें विफल रहने पर, वह प्रत्येक मामले के लिए मासिक बिल राशि के 10% की अधिकतम सीमा तक नीचे निर्दिष्ट दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

श्रेणी -1: - अगले महीने के 05 वें कार्य दिवस को या उससे पहले मासिक मजदूरी का भुगतान न करने पर देरी के लिए प्रति दिन 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

श्रेणी-2: - ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति शिफ्ट 1000/- रुपये की वसूली की जाएगी।

श्रेणी-3: - ठेकेदार को खंड III के उप खंड 7 : अनुबंध की विशेष शर्त (और अनुलग्नक II: वेतन और ईपीएफ विवरण) के अनुसार नियमित रूप से अपने कर्मचारियों/कर्मियों के लिए लागू ईपीएफ और ईएसआई जमा करना होगा, जिसमें विफल रहने पर पीएफ और ईएसआई के प्रति वेतन के भुगतान की वसूली @ 24% और 3.5% क्रमशः उनके बिलों से की जाएगी।

श्रेणी-4: - ठेकेदार अगले महीने के 05 वें कार्य दिवस को या उससे पहले बिल प्रस्तुत करेगा, जिसमें विफल रहने पर देरी के लिए प्रति दिन 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। ठेकेदार जोखिम और लागत के लिए भी उत्तरदायी होगा।

श्रेणी-5: - ठेकेदार के कार्य-निष्पादन/कार्य, हाउसकीपिंग कार्यों की गुणवत्ता, समझौते के अनुसार स्टाफ-सदस्यों की उपस्थिति और निविदा दस्तावेज में उल्लिखित अन्य पहलुओं की औचक समीक्षा/निरीक्षण (मासिक या अधिक बार, जैसा कि बैंक द्वारा तय किया गया है) बैंक द्वारा आयोजित की जाएगी (यह बैंक के कर्मचारियों/ रखवालों से प्राप्त फीडबैक पर भी आधारित होगा)। ठेकेदार को मासिक भुगतान केवल तभी जारी किया जाएगा जब समीक्षा/निरीक्षण में कार्य-निष्पादन संतोषजनक पाया जाएगा। यदि हाउसकीपिंग कार्य असंतोषजनक पाया जाता है या यदि सेवा/कार्य-निष्पादन में कोई अन्य कमी पाई जाती है तो बैंक प्रति मामला ₹1000/- (एक हजार रुपये मात्र) का जुर्माना लगा सकता है, तो जुर्माने की राशि या तो मासिक बिल भुगतान से या प्रतिभूति जमा से वसूल की जा सकती है। सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने में बैंक के संबंधित अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और सेवा प्रदाता द्वारा इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है।

नोट: - किसी भी मामले में, किसी या सभी श्रेणियों के कारण किसी भी समय कुल जुर्माना कुल अनुबंध मूल्य के 10% से अधिक नहीं होगा। एक बार जब कुल जुर्माना इस सीमा तक पहुंच जाता है, तो अनुबंध समझौते के प्रावधानों के अनुसार अनुबंध, समीक्षा/रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा और इस संबंध में क्षेत्रीय निदेशक, कानपुर का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

<u>विवाद: मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटान:</u> किसी भी प्रकार के विवाद और मतभेद, जो भी अनुबंध से उत्पन्न होते हैं या उसके संबंध में या कार्यों को पूरा करने के संबंध में (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और चाहे निर्धारण, परित्याग या अनुबंध के उल्लंघन से पहले या बाद में) बैंक द्वारा संदर्भित और निपटाया जाएगा, जिनके संबंध में लिखित रूप में निर्णय बताया जाएगा। इस प्रकार के निर्णय, अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या अन्यथा हो सकते हैं।

किसी भी अपवाद के मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। परंतु यदि ठेकेदार किसी भी मामले के संबंध में असंतुष्ट है, तो ठेकेदार इस तरह के निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस दे सकता है, जिसमें यह अपेक्षित हो कि विवाद के मामलों में मध्यस्थता की जाए। इस तरह की लिखित सूचना उन मामलों को निर्दिष्ट करेगी, जो विवाद या मतभेद के अंतर्गत हैं तथा जिनके संबंध में लिखित सूचना दी गई है। यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं, तो इस उद्देश्य के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई सहमति नहीं हो पाती है, तो दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। पार्टियों द्वारा नामित दो मध्यस्थ पीठासीन मध्यस्थ या अंपायर को नामित करेंगे। मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, के पास किसी भी प्रमाण पत्र, राय, निर्णय, मांग या नोटिस, को खोलने या संशोधित करने की शक्ति होगी। मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना निर्णय देंगे। यदि मध्यस्थता कार्रवाई के दौरान पक्ष आपसी रूप से अपने विवाद या अंतर को सुलझा लेती हैं या समझौता करती हैं, पक्षों द्वारा निपटान या समझौते का अपना संयुक्त ज्ञापन दाखिल करने पर, मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, इस तरह के समझौते के संदर्भ में अपना निर्णय देंगे। मध्यस्थ न्यायाधिकरण की फीस सहित मध्यस्थता की कार्यवाही मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होगी। मध्यस्थता का स्थान भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर होगा।
इस प्रस्तुति को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिए प्रस्तुति माना जाएगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय, जैसा भी मामला हो, पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस बात पर सहमति है कि ठेकेदार ऐसे किसी भी मामले, प्रश्न या विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने के कारण कार्यों को पूरा करने में देरी नहीं करेंगे, लेकिन सभी उचित श्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और जब तक मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय नहीं दिया जाता है, तब तक बैंक के निर्णय का पालन करेंगे। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी निर्णय, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक संचालन के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। बैंक और ठेकेदार एतद्द्वारा इस बात से भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता अनुबंध के तहत कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए एक शर्त होगी। उत्पन्न होने वाले सभी विवाद कानपुर में सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

कर्तव्य और अनुशासन - एजेंसी निम्नलिखित का पालन करने के लिए बाध्य होगी:
भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर के परिसर में किसी भी गैरकानूनी गतिविधि की अनुमति या संचालन या अनुशासनहीनता नहीं करना।

अपने कर्मचारियों के सभी बकाये का भुगतान करना और भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर को इस संबंध में किसी भी दायित्व के प्रति क्षतिपूर्ति से मुक्त रखना।
अपने कर्मचारियों के व्यवहार, उनकी उपस्थिति और वर्दी के लिए जिम्मेदार होना और भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर और उसके प्रतिनिधियों के कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रति अच्छा आचरण, सहयोग और अनुशासन सुनिश्चित करना।
अपने उन कर्मचारियों के विरुद्ध सुधारात्मक और अनुशासनात्मक कार्रवाई करना जिनके विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर सूचित करता है।
करार की समाप्ति पर, एजेंसी अपने कर्मचारियों को सभी सांविधिक भुगतान करने और अन्य सभी सांविधिक दायित्व बनाने और भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर के पक्ष में उपयुक्त निर्वहन प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार होगी ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर पर कोई दायित्व हस्तांतरित न हो।

अयोग्यता - कार्य निष्पादित करने में विफलता की स्थिति में, बैंक ठेकेदार, उसके सहयोगियों और संस्थाओं को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिसमें वह बैंक में किसी भी अनुबंध को प्रदान करने में रुचि रखता है। बैंक उस ठेकेदार को प्रतिबंधित करने का अपना अधिकार भी सुरक्षित रखता है जो इस अनुबंध के तहत संविदात्मक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है, किसी भी निविदा में भाग लेने या तीन साल की अवधि के लिए बैंक में किसी भी काम के पुरस्कार से वंचित करता है। बैंक ठेकेदार को प्रतिबंधित करने से पहले ठेकेदार को 10 दिन का नोटिस जारी करेगा और ठेकेदार द्वारा इस तरह के नोटिस पर दिए गए जवाब, यदि कोई हो, पर विचार करेगा। इस संबंध में क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

अनुपालन – ठेकेदार, निर्धारित प्रपत्रों में मौजूदा क़ानूनों, नियमों, आदेशों आदि के अनुपालन के दस्तावेजी साक्ष्य को बनाए रखेगा। इस प्रकार के अनुपालन से स्वयं को संतुष्ट करने के लिए बैंक, ऐसे दस्तावेजों की जांच/निरीक्षण/ उनके सत्यापन के लिए अधिकृत होगा। ठेकेदार ऐसे दस्तावेजों को उचित समय के भीतर बैंक को प्रस्तुत करेगा, जो ठेकेदार को लिखित रूप में या अदालत, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण आदि द्वारा निर्देशित किसी अन्य अवधि के बाद पांच कार्य दिवसों से अधिक नहीं होगा, जो भी कम हो। यदि ठेकेदार सभी प्रकार से पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो बैंक को दस्तावेजों को जमा करने के लिए अनुमत समय की समाप्ति के बाद प्रति दिन **1,000/-** रुपये **(**एक हजार रुपये केवल**)** का परिसमापन हर्जाना लगाने का अधिकार होगा। ठेकेदार द्वारा अनुरक्षण न किए जाने या ठेकेदार द्वारा ऐसे अभिलेखों को प्रस्तुत करने के कारण बैंक द्वारा की गई कोई भी आर्थिक हानि, परिसमापन क्षति, भुगतान आदि बैंक द्वारा किया गया/किया गया, जिसके कारण बैंक किसी भी न्यायालय या सांविधिक या प्रशासनिक प्राधिकरण या नगर निकाय के समक्ष ऐसे रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में असमर्थ हो जाता है, यदि बाद में ऐसा करने की आवश्यकता होती है, तो बैंक द्वारा सुरक्षा जमा या अन्य देय या ठेकेदार को देय अन्य देय राशि से वसूल किया जाएगा। यदि बैंक पूरी तरह से राशि वसूल करने में असमर्थ है, तो शेष राशि ठेकेदार द्वारा बैंक को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी। ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति करेगा, यदि सांविधिक बकाया या अनुपालन के संबंध में बैंक के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की जाती है, जिसके लिए वह जिम्मेदार है। बैंक को अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार होगा यदि ठेकेदार इस तरह के गैर-अनुपालन की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उचित समय के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहता है

इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या किसी भी तरह से जुड़े सभी विवादों को कानपुर में उत्पन्न माना जाएगा और ये केवल कानपुर की अदालतों के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगी।

सौंपे गए कार्य को पूर्ण करने के लिए, ठेकेदार चिकित्सकीय और शारीरिक रूप से फिट व्यक्तियों को तैनात करेगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि व्यक्ति समय के पाबंद और अनुशासित हों तथा अपने कार्य-निष्पादन में सतर्क रहें।

सौंपे गए कार्य की जिम्मेदारी लेने के बाद, ठेकेदार उचित प्रणाली तैयार करेगा और क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर या उनके द्वारा नामित व्यक्ति के परामर्श से अपने कार्मिकों को विधिवत कार्य सौंपेगा। इसके बाद, ठेकेदार समय-समय पर सौंपे गए कार्यों की समीक्षा करेगा और क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर को अपनी प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए सलाह देगा। ठेकेदार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर या इस संबंध में क्षेत्रीय निदेशक द्वारा नामित अधिकारी के प्रति बाध्य होगा तथा उनके द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुदेशों/निर्देशों का पालन करेगा।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर या क्षेत्रीय निदेशक द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति ठेकेदार द्वारा तैनात व्यक्तियों की औचक जांच करने के लिए स्वतंत्र होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके द्वारा तैनात व्यक्ति प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं या नहीं।

यदि ठेकेदार द्वारा इस प्रकार तैनात किया गया कोई भी व्यक्ति सही तरीके से काम नहीं करता है या अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करता है या कदाचार करता है या किसी गैरकानूनी कार्य या अव्यवस्थित आचरण में लिप्त है, तो ठेकेदार तुरंत उसे हटा लेगा और भारतीय रिज़र्व बैंक, इस संबंध में कानपुर कार्यालय की रिपोर्ट पर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। इसके अलावा, यदि उक्त व्यक्ति की ओर से उक्त में से कोई भी कार्य किया जाता है, तो ठेकेदार भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर की मांग पर इस प्रकार तैनात विशेष व्यक्ति को तुरंत बदल देगा।

ठेकेदार क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर या सुरक्षा अधिकारी या क्षेत्रीय निदेशक द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी के परामर्श से उसे सौंपे गए कार्य को सावधानीपूर्वक और निष्ठा के साथ करेगा।

ठेकेदार अपने कार्मिकों को इस प्रकार से तैनात करेगा कि उन्हें साप्ताहिक आराम मिले। काम के घंटे/छुट्टी, जिसके लिए उनसे काम लिया जाता है, दुकान और स्थापना अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं। ठेकेदार को अपने रोजगार में व्यक्तियों के साथ सभी व्यवहारों में सभी मान्यता प्राप्त त्योहारों, आराम के दिनों और धार्मिक या अन्य रीति-रिवाजों का उचित संबंध होना चाहिए। ठेकेदार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, **1970** के उपबंधों सहित श्रम कानूनों के किसी भी उपबंध में चूक या उल्लंघन करने या कोई सूचना प्रस्तुत करने या उक्त विनियमों और नियमों के उपबंधों के तहत कोई विवरण प्रस्तुत करने या दाखिल करने की स्थिति में, जो भौतिक रूप से किया गया है, वह किसी भी अन्य दायित्व के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर को किसी भी व्यक्ति/ग्राहक द्वारा दावा की जा सकने वाली राशि का भुगतान करेगा।

बैंक और अनुबंध के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा तैनात ठेकेदार/व्यक्तियों के बीच कोई नियोक्ता और कर्मचारी संबंध नहीं होगा। ठेकेदार अनुबंध की समाप्ति पर या अनुबंध की समाप्ति पर उसके द्वारा तैनात सभी श्रमिकों को भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर के परिसर से हटा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान/बाधा/समस्या उत्पन्न नहीं करेगा।

ठेकेदार, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर को ठेकेदार द्वारा तैनात कर्मचारियों के संबंध में सभी दावों के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा, यदि इस प्रकार तैनात ठेकेदार का कोई कर्मचारी किसी भी प्रकार के विवाद में शामिल होता है, तो इसका विरोध करना ठेकेदार की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर को पक्षकार बनाया जाता है और उसे मामला लड़ना होता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर को वकील शुल्क और अन्य खर्चों के लिए किए गए वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसका भुगतान ठेकेदार द्वारा मांग पर भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर को अग्रिम रूप से किया जाएगा। इसके अलावा, ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर पर किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय या कोई अन्य दायित्व नहीं आता है और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।

इस प्रकार तैनात कर्मियों की लापरवाही के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर की सरकारी संपत्ति का कोई भी नुकसान ठेकेदार से वसूल किया जाएगा और ठेकेदार को उचित सूचना देने के बाद इसका निर्धारण किया जाएगा। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, ठेकेदार को क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर के पास अपील करने का अधिकार होगा, जिनका निर्णय इस मामले में अंतिम होगा।

ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार तैनात किए गए व्यक्ति क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर की किसी भी संपत्ति को बैंक के नामित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित गेट पास के बिना परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं देते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर द्वारा कोई आवास सुविधा या चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

ठेकेदार/एजेंसी द्वारा "कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा। ठेकेदार शिकायतकर्ता/पीड़ित को देय मौद्रिक मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के दौरान ठेकदार को मिलने वाली कोई भी जानकारी, सामग्री तथा बैंक के बुनियादी ढांचा/सिस्टम/उपस्करों के संबंध में मिलने वाली जानकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकटीकरण किसी अन्य पक्षकार को नहीं करेगा तथा हमेशा इसे अतिगोपनीय बनाए रखेगा। लागू कानून का अनुपालन करने या संविदा के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक होने की स्थिति को छोड़कर ठेकेदार इस संविदा के ब्यौरों को निजी दायरे में और गोपनीय रखेगा। नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ठेकेदार किसी व्यापारिक या तकनीकी पेपर में या अन्यत्र कार्य के विवरण को न तो प्रकाशित करेगा, न ही प्रकाशन की अनुमति देगा और न ही इसका प्रकटीकरण करेगा। किसी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को हुई हानि के लिए ठेकेदार नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त शर्तों का पालन न करना ठेकेदार द्वारा संविदा भंग माना जाएगा और नियोक्ता हुई क्षति का दावा करने तथा कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

इस करार के अधीन गोपनीय जानकारी का प्रकटीकरण न किए जाने के दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा। प्रकटीकरण न करने और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार का दायित्व इस करार के समाप्त होने या किसी भी कारण से समाप्त किए जाने तक बना रहेगा।

ठेकेदार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में परिकल्पित सभी श्रम नियमों और विनियमों का पालन करने और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है जो कुल कार्य दिवसों और/या काम के घंटों पर आधारित होना चाहिए, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाता है। कार्यस्थल पर उत्पन्न होने वाले विवाद के सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

इस अनुबंध के सभी हिस्सों को ठेकेदार द्वारा पढ़ा गया है और ठेकेदार द्वारा पूरी तरह से समझा गया है तथा इसके साक्ष्य स्वरूप, पक्षों द्वारा उक्त उल्लिखित तिथि पर इस समझौते को निष्पादित किया गया है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर	**फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के तहत फर्म की मुहर लगाई जाए)**
गवाह /**Witnesses: 01**	गवाह / **Witnesses: 01**
गवाह /**Witnesses: 02**	गवाह / **Witnesses: 02**

अनुलग्नक IV: अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची देखें

(ई-टेंडर में बोली लगाते समय एमएसटीसी ई-पोर्टल पर ऑनलाइन)

क्र.सं.	**पूर्वयोग्यता दस्तावेज**	संलग्न हाँ/नहीं	टिप्पणियां
1.	ई-निविदा दस्तावेज विधिवत भरे, हस्ताक्षरित और मुहर लगाए गए		
2.	निविदा फर्मों का अपना कार्यालय कानपुर/लखनऊ में होना चाहिए। पते के प्रमाण को समर्थित करने वाला दस्तावेज़ अपलोड किया जाए।		
3.	पैन की प्रति		
4.	ईएसआई के साथ पंजीकरण का प्रमाण, यथालागू		
5.	ईपीएफ के साथ पंजीकरण का प्रमाण, जैसा भी लागू हो		
6.	सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी पंजीकरण का प्रमाण		
7.	श्रम कानूनों के तहत आवश्यक पंजीकरण का प्रमाण		
8.	ठेकेदारों की फर्म की संरचना का पूरा विवरण (चाहे ठेकेदार एक व्यक्ति या साझेदारी फर्म या एक कंपनी आदि हो) भागीदारों/निदेशकों के नाम और पते तथा संस्था के अंतर्नियम, / पावर ऑफ अटॉर्नी/किसी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज की प्रति के साथ-साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए,।		
9.	बैंकरों का नाम और पता		
10.	उनके बैंक खाते का पूरा विवरण, जैसे खाता संख्या, प्रकार, आईएफएससी कोड आदि दिया जाए।		

बोलीदाता का नाम और हस्ताक्षर

तिथि : _____

अनुलग्नक V: बैंकरों के प्रमाण पत्र का प्रारूप

1. फर्म की संरचना (पार्टनरशिप/प्राइवेट लिमिटेड/प्रोपराइटरशिप/पब्लिक लिमिटेड। –
2. फर्म के प्रोपराइटर/पार्टनर/डायरेक्टर्स का नाम.
3. पिछले 3 वित्तीय वर्षों (वर्षवार) के लिए फर्म का टर्नओवर।

   2024-2025 -

   2023-2024-

   2022-23-
4. फर्म द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा।
5. व्यवहार: संतोषजनक/असंतोषजनक
6. वह अवधि जिससे फर्म आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है।
7. कोई अन्य टिप्पणी।

आप कृपया अपनी राय भी भेज सकते हैं कि क्या उपर्युक्त फर्म को 8.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए अनुबंध सौंपने के लिए वित्तीय रूप से मजबूत माना जाता है - हां / नहीं

(हस्ताक्षर) बैंक नोट के लिए:

बैंकरों का प्रमाण पत्र बैंक के लेटरहेड पर होना चाहिए।

साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र में बैंक के साथ दर्ज किए गए सभी भागीदारों के नाम शामिल होने चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
कानपुर

अप्रयुक्त बोली

भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंक परिसर और 03 आवासीय कालोनियों में सीधी लाइन और इंटरकॉम लाइन के लिए एएमसी

RBI/Kanpur/Estate/16/25-26/ET/828

इन्हें जारी किया गया : _____

_____

भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर			
भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंक परिसर और 03 आवासीय कालोनियों में सीधी लाइन और इंटरकॉम लाइन के लिए एएमसी			
क्रम संख्या.	बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यू) विवरण)		
1	मैनपावर का विवरण- कार्य के परिभाषित दायरे के लिए (इस निविदा की धारा V देखें), मैनपावर की आवश्यकता निम्नानुसार विस्तृत है: कृपया एमएसटीसी पोर्टल पर इस सामग्री के लिए ठेकेदार लाभ (CP) के साथ-साथ जीएसटी, बीमा और वर्दी की लागत को भरें। इस आइटम का कुल सालाना व्यय नीचे दी गयी तालिका के अनुसार किया जाएगा । इस तालिका में CP को (I) से दशार्या गया है । एमएसटीसी पोर्टल, ठेकेदार के CP भरने के बाद स्वयं इस आइटम हेतु सालाना व्यय (GST सिहत) 'J' calculate कर लेगा।		
	विवरण	फॉर्मूला	अकुशल कार्मिक
	प्रति दिन वेतन (रु.)	(A)	805
	26 दिनों के लिए सकल वेतन	(B=A*26)	20930
	ईपीएफओ प्रति कर्मचारी (@12%)	(C)	2511.60
	ईएसआईसी प्रति कर्मचारी (3.25%)	(D)	680.23
	प्रति कर्मचारी प्रति माह कुल वेतन	(E=B+C+D)	24121.83
	कर्मचारियों की संख्या	(F)	2
	सभी कर्मचारियों का प्रति माह वेतन	(G)	48243.65
	जीएसटी	(H)	8683.85
	जीएसटी सहित सभी कर्मचारियों का कुल वेतन	(I)	56927.50
	जीएसटी सहित सभी कर्मचारियों का कुल वार्षिक वेतन	(J)	683130
	जीएसटी सहित ठेकेदार का वार्षिक लाभ	(K)	24182.80 से कम नहीं।
	बीमा, वर्दी आदि सहित प्रशासकीय शुल्क	(L)	L
	इस मद के लिए कुल राशि	(M)	7,07,312.80/- (683130+K+ L) (जहाँ K का न्यूनतम मूल्य 24182.80) (ठेकेदार द्वारा

			भरे गए Admin दर के अनुसार MSTC यह total स्वयं calculate करेगा)

- उद्धृत दर के अंतर्गत मैनपावर की नियुक्ति, ठेकेदार का लाभ, अन्य खर्च, वर्दी, आवश्यक बीमा, पीएफ प्रभार आदि के लिए राशि शामिल होगी।
- **नोट:** - अनुबंध की अवधि के दौरान दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तथापि, अनुबंध राशि में वृद्धि केवल "मुख्य श्रम आयुक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार" के कार्यालय द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी की दर के अनुसार की जाएगी। अनुबंध की अवधि के दौरान लाभ और अन्य निष्क्रिय घटक में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।